आरवीजी एज्युकेशनल फाउन्डेशन

मेमोरेंडम (उद्देश्यपत्र)

Clause No.	Clause No.	Clause No.	New Clause	Amendment
1.	इस संस्थाका नाम "आरवीजी एज्युकेशनल फाउन्डेशन" होगा	1	संस्था का नाम इस संस्था का नाम "आरवीजी एज्युकेशनल फाउन्डेशन" होगा।	Inserted header before the clause
2.	इसका प्रधान कार्यालय मुंबई में रहेगा।	2	संस्था का प्रधान कार्यालय इस संस्था का प्रधान कार्यालय मुंबई में रहेगा।	Inserted header before the clause
		3	संस्था के प्रमुख उद्देश्य	Inserted header before the clause
3. (क)	सर्वसाधारण और विशेषकर राजस्थानी विद्यार्थियों के लिए शिक्षा, पठन-पाठन एवं आवासीय व्यवस्था करना।	(A)	सर्वसाधारण और विशेषकर राजस्थानी विद्यार्थियों के लिए शिक्षा, पठन-पाठन एवं आवासीय व्यवस्था करना।	Renumbering No other Change
(ख)	कला, कौशल, साहित्य, संस्कृति शिक्षा तथा विज्ञान के क्षेत्र में शोध एवं विकास करना।	(B)	कला, कौशल, साहित्य, संस्कृति शिक्षा तथा विज्ञान के क्षेत्र में शोध एवं विकास करना।	Renumbering No other Change
(ग)	पुस्तकालय, वाचनालय, स्पोर्टस् क्लब, व्यायामशाला, शोधशाला आदि की स्थापना करना।	(C)	पुस्तकालय, वाचनालय, स्पोर्टस् क्लब, व्यायामशाला, शोधशाला आदि की स्थापना करना।	Renumbering No other Change
(घ)	व्याख्यान, वादविवाद, प्रकाशन आदि का प्रबंध करना।	(D)	व्याख्यान, वादविवाद, प्रकाशन आदि का प्रबंध करना।	Renumbering No other Change
(ड)	छात्रवृत्ति और पारितोषिक प्रदान करना।	(E)	छात्रवृत्ति और पारितोषिक प्रदान करना।	Renumbering No other Change

Clause No.	Clause No.	Clause No.	New Clause	Amendment
(च)	ऐसी अन्य संस्थाएं खोलना, चलाना और सहायता करना।	(F)	ऐसी अन्य संस्थाएं खोलना, चलाना और सहायता करना।	Renumbering No other Change
3. (ज)	सर्वसाधारण के उपयोग हेतू चिकित्सा एवं स्वास्थ्य संबंधित सेवाओं की व्यवस्था करना, प्रबंध एवं इस संबंध में सहायता उपलब्ध करवाना।	(G)	सर्वसाधारण के उपयोग हेतू चिकित्सा एवं स्वास्थ्य संबंधित सेवाओं की व्यवस्था करना, प्रबंध एवं इस संबंध में सहायता उपलब्ध करवाना।	Renumbering No other Change
		H	सार्वजनिक जनकल्याण के वे सभी कार्य करना जो की बोर्ड ऑफ़ ट्रस्टीज़ द्वारा सुझाये गये है।	New clause (H) inserted after clause (G) in object clause of the Trust so as to carry on general social work for the benefit of public at large
		(I)	उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु आवश्यक, प्रासंगिक एवं उनसे संबंधित सभी प्रकार की गतिविधियों का संचालन करना।	New clause (I) inserted after clause (H) i.e. enabling clause to carry on all such activities in relation to the main objects of the Trust
(छ)	संस्था के लाभार्थ :	(J)	संस्था के लाभार्थ :	Renumbering No other Change

Clause No.	Clause No.	Clause No.	New Clause	Amendment
(छ) 1.	दान, चंदा अथवा वैध साधनों द्वारा धन इकट्ठा करना और इसके उद्देश्यों की पूर्ति के लिए व्यय करना।	(i)	दान, चंदा अथवा वैध साधनों द्वारा धन इकट्ठा करना और इसके उद्देश्यों की पूर्ति के लिए व्यय करना।	Renumbering No other Change
(छ) 2.	जायदाद खरीदना, पट्टे पर लेना, विनिमय करना, किराये पर लेना अथवा अन्य किसी प्रकार से आवश्यकतानुसार या सुविधानुसार कोई वास्तविक या व्यक्तिगत सम्पत्ति लेना अथवा उसका अधिकार प्राप्त करना।	(ii)	जायदाद खरीदना, पट्टे पर लेना, विनिमय करना, किराये पर लेना अथवा अन्य किसी प्रकार से आवश्यकतानुसार या सुविधानुसार कोई वास्तविक या व्यक्तिगत सम्पत्ति लेना अथवा उसका अधिकार प्राप्त करना।	Renumbering No other Change
(छ) 3.	आवश्यकतानुसार भवन बनवाना, बदलना या उसी रुप में चलाना।	(iii)	आवश्यकतानुसार भवन बनवाना, बदलना या उसी रुप में चलाना।	Renumbering No other Change
(छ) 4.	तत्काल जिस धन की आवश्यकता न हो उससे मुंबई या भारत में कोई भी ऐसी अचल सम्पत्ति खरीदना तथा ऐसी फी होल्ड या लीज होल्ड सम्पत्ति जिसके ठेके की मियाद 50 साल बाकी हो उसको प्रथम कानूनी रेहन पर विनियोग करना या किसी लिमिटेड कम्पनी के डिबेंचर स्टॉक और भारत में रजिस्ट्री की गई कम्पनियों या बैंको के साधारण या प्रिफरेंस शेयर्स लेना अथवा समय-समय पर निर्धारित सिक्योरिटीज में लगाना।	(iv)	जिस धन की तत्काल आवश्यकता न हो उसे मुंबई या भारत में कोई भी ऐसी अचल सम्पत्ति खरीदना तथा ऐसी फ्री होल्ड या लीज होल्ड सम्पत्ति जिसके ठेके की मियाद 50 साल बाकी हो उसको प्रथम कानूनी रेहन पर विनियोग करना या किसी लिमिटेड कम्पनी के डिबेंचर स्टॉक और भारत में रजिस्ट्री की गई कम्पनियों या बैंको के साधारण या प्रिफरेंस शेयर्स लेना अथवा समय-समय पर द महाराष्ट्र पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1950 एवं इनकम टैक्स एक्ट, 2025 के प्रावधानों के अंतर्गत स्वीकृत प्रतिभूतियों (सिक्योरिटीज़) में निवेश करना।	Renumbering Clause amended so as to over all investment permitted under Maharashtra Public Trust Act and Income Tax Act.

Clause No.	Clause No.	Clause No.	New Clause	Amendment
(छ) 5.	संस्था की तमाम जायदाद या उसका कोई अंश बेचना, बढाना, मरम्मत करना, विनिमय करना, ठेके अथवा किराए पर देना या उसकी अन्य प्रकार से व्यवस्था करना।	(v)	संस्था की तमाम जायदाद या उसका कोई अंश बेचना, बढाना, मरम्मत करना, विनिमय करना, ठेके अथवा किराए पर देना या उसकी अन्य प्रकार से व्यवस्था करना।	Renumbering No other Change
(छ) 6.	संस्था के उद्देश्यों की प्रगति एवं प्रवृत्ति के लिए एकत्रित धन का ट्रस्ट बनाना।	(vi)	संस्था के उद्देश्यों की प्रगति एवं प्रवृत्ति के लिए एकत्रित धन का ट्रस्ट बनाना।	Renumbering No other Change
(छ) 7.	इसके उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उसकी जायदाद या कोष गिरवी रखकर रुपया उधार लेना।	(vii)	इसके उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उसकी जायदाद या कोष गिरवी रखकर रुपया उधार लेना।	Renumbering No other Change
(छ) 8.	इस संस्था के नाम एवं उद्देश्यों में परिवर्तन किये बिना इसके उद्देश्यों से मिलती-जुलती अन्यान्य रजिस्टर्ड या अनरजिस्टर्ड संस्था या संस्थाओं को अग्रसर करना, सहायता और सहयोग देना अथवा संयुक्त करना।	(viii)	इस संस्था के नाम एवं उद्देश्यों में परिवर्तन किये बिना इसके उद्देश्यों से मिलती-जुलती अन्य रजिस्टर्ड या अनरजिस्टर्ड संस्था या संस्थाओं को अग्रसर करना, सहायता और सहयोग देना अथवा संयुक्त करना।	Renumbering No other Change
(छ) 9.	साधारणतया वे सभी कार्य करना जो इसके उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक हों।	(ix)	साधारणतया वे सभी कार्य करना जो इसके उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक हों।	Renumbering No other Change
(छ) 10.	मारवाड़ी सम्मेलन द्वारा स्वीकृत शर्तों पर विद्यार्थीगृह के लिए जो धन एकत्रित किया गया है उन शर्तों का यथावत् पालन करना।	(x)	मारवाड़ी सम्मेलन द्वारा स्वीकृत शर्तों पर विद्यार्थीगृह के लिए जो धन एकत्रित किया गया है उन शर्तों का यथावत् पालन करना।	Clause Retained

Clause No.	Clause No.	Clause No.	New Clause	Amendment
इस संस्था के प्रथम सदस्यो की जिनसे सर्वप्रथम व्यवस्थापिका सभा का निर्माण हुआ। उनके नाम व पते इस प्रकार हैं:		**इस संस्था के प्रथम सदस्यो की जिनसे सर्वप्रथम व्यवस्थापिका सभा का निर्माण हुआ। उनके नाम व पते इस प्रकार हैं:**		**No Change**
1.	**श्री पुरुषोत्तमलाल झुनझुनवाला, श्रीराम मेशन, सरदार वल्लभभाई पटेल रोड, मुंबई**-4	1	**श्री पुरुषोत्तमलाल झुनझुनवाला, श्रीराम मेशन, सरदार वल्लभभाई पटेल रोड, मुंबई**-4	**No Change**
2.	**श्री शिवकुमार भुवालका**, 9 **पेडर रोड, मुंबई** 26	2	**श्री शिवकुमार भुवालका**, 9 **पेडर रोड, मुंबई** 26	**No Change**
3.	**श्री घनश्यामदास पोद्दार**, 29, **चर्चगेट स्ट्रीट, फोर्ट, मुंबई**-1	3	**श्री घनश्यामदास पोद्दार**, 29, **चर्चगेट स्ट्रीट, फोर्ट, मुंबई**-1	**No Change**
4.	**श्री गोविंदलाल पित्ती, सी.सी.आई. चैम्बर्स**, 5**वां माला, दीनशा वाच्छा रोड, मुंबई**-1.	4	**श्री गोविंदलाल पित्ती, सी.सी.आई. चैम्बर्स**, 5**वां माला, दीनशा वाच्छा रोड, मुंबई**-1.	**No Change**
5.	**श्री पन्नालाल पित्ती**, 20, **हमाम स्ट्रीट, फोर्ट, मुंबई** 1	5	**श्री पन्नालाल पित्ती**, 20, **हमाम स्ट्रीट, फोर्ट, मुंबई** 1	**No Change**
6.	**श्री मदनमोहन रुइया, स्टेट बैंक बिल्डींग, बैंक स्ट्रीट, फोर्ट, मुबई** -1	6	**श्री मदनमोहन रुइया, स्टेट बैंक बिल्डींग, बैंक स्ट्रीट, फोर्ट, मुंबई** -1	**No Change**
7.	**श्री गोपीकृष्ण माखरिया**, 61, **सर पोचखनावाला रोड, वरली, मुबई** 18	7	**श्री गोपीकृष्ण माखरिया**, 61, **सर पोचखनावाला रोड, वरली, मुंबई** 18	**No Change**
8.	**श्री जमनादास अडुकिया**, 188 **कालबादेवी रोड, मुबई**-2	8	**श्री जमनादास अडुकिया**, 188 **कालबादेवी रोड, मुंबई**-2	**No Change**
9.	**श्री सत्यनारायण मोदी**, 105/7, **तांबाकाटा, मुंबई**-3	9	**श्री सत्यनारायण मोदी**, 105/7, **तांबाकाटा, मुंबई**-3	**No Change**

Clause No.	Clause No.	Clause No.	New Clause	Amendment
10.	**श्री मदनलाल राजपुरिया**, **नेहरु रोड**, **विलेपार्ले**, **मुंबई**-57	10	**श्री मदनलाल राजपुरिया**, **नेहरु रोड**, **विलेपार्ले**, **मुंबई**-57	**No Change**
11.	**श्री रामगोपाल गाड़ोदिया**, 239, **कालबादेवी रोड**, **मुंबई**-2	11	**श्री रामगोपाल गाड़ोदिया**, 239, **कालबादेवी रोड**, **मुंबई**-2	**No Change**
12.	**श्री सूरजरतन दामानी**, **दामानी हाउस**, **कफ परेड**, **कोलाबा**, **मुंबई**-5	12	**श्री सूरजरतन दामानी**, **दामानी हाउस**, **कफ परेड**, **कोलाबा**, **मुंबई**-5	**No Change**
13.	**श्री हरिप्रसाद नोपानी**, 215/17, **कालबादेवी रोड**, **मुंबई** 2	13	**श्री हरिप्रसाद नोपानी**, 215/17, **कालबादेवी रोड**, **मुंबई** 2	**No Change**
14.	**श्री काशीनाथ गाडिया**, **मैं विलासराय काशीनाथ**, 2 **जय हिंद बिल्डिंग**, **भूलेश्वर**, **मुंबई**-2	14	**श्री काशीनाथ गाडिया**, **मैं विलासराय काशीनाथ**, 2 **जय हिंद बिल्डिंग**, **भूलेश्वर**, **मुंबई**-2	**No Change**
15.	**श्री महावीरप्रसाद डालमिया, मैं. प्रहलादराय डालमिया ऐंड सन्स, नवीनचंद्र बिल्डिंग, विट्ठलवाड़ी, मुंबई - 2**	15	**श्री महावीरप्रसाद डालमिया, मैं. प्रहलादराय डालमिया ऐंड सन्स, नवीनचंद्र बिल्डिंग, विट्ठलवाड़ी, मुंबई - 2**	**No Change**
16.	**श्री बालमुकुन्द आर अग्रवाल** 45, **यूसुफ बिल्डिंग**, **वीर नरीमन रोड**, **मुंबई**-1	16	**श्री बालमुकुन्द आर अग्रवाल** 45, **यूसुफ बिल्डिंग**, **वीर नरीमन रोड**, **मुंबई**-1	**No Change**
17.	**श्री श्रीनिवास बगडका**, 1, **जमनालाल बजाज नगर**, **कुर्ला रोड**, **अंधेरी**, **पूर्व**, **मुंबई** 59	17	**श्री श्रीनिवास बगडका**, 1, **जमनालाल बजाज नगर**, **कुर्ला रोड**, **अंधेरी**, **पूर्व**, **मुंबई** 59	**No Change**
18.	**श्री मदनलाल जालान**, 212, **कालबादेवी रोड**, **मुबई**-2	18	**श्री मदनलाल जालान**, 212, **कालबादेवी रोड**, **मुंबई** -2	**No Change**

Clause No.	Clause No.	Clause No.	New Clause	Amendment
19.	**श्री जयदेव सिंघानिया**, 29 **ए**, **बालाराम स्ट्रीट**, **ग्रान्ट रोड**, **मुंबई** -7	19	**श्री जयदेव सिंघानिया**, 29 **ए**, **बालाराम स्ट्रीट**, **ग्रान्ट रोड**, **मुंबई** -7	**No Change**
20.	**श्री मुरलीधर जालान**, 339/41, **कालबादेवी रोड**, **मुंबई**-2	20	**श्री मुरलीधर जालान**, 339/41, **कालबादेवी रोड**, **मुंबई**-2	**No Change**
21.	**श्री गौरीशंकर केजडीवाल**, **केदार भवन**, **कालबादेवी रोड**, **मुंबई** 2	21	**श्री गौरीशंकर केजडीवाल**, **केदार भवन**, **कालबादेवी रोड**, **मुंबई** 2	**No Change**
22.	**श्री कुंज बिहारीलाल दारोलिया**, 55 **मारवाड़ी बाजार**, **मुबई**-2	22	**श्री कुंज बिहारीलाल दारोलिया**, 55 **मारवाड़ी बाजार**, **मुंबई** -2	**No Change**
23.	**श्री रामेश्वर कन्दोई**, **विश्व महल**, **सी रोड**, **चर्चगेट मुंबई** 1	23	**श्री रामेश्वर कन्दोई**, **विश्व महल**, **सी रोड**, **चर्चगेट मुंबई** 1	**No Change**
24.	**श्री सांवरमल तोदी**, 41 **हमाम स्ट्रीट मुबई**-1	24	**श्री सांवरमल तोदी**, 41 **हमाम स्ट्रीट मुंबई** -1	**No Change**
25.	**श्री जयन्तीलाल रुईया**, 188, **कालबादेवी रोड**, **मुबई** 2	25	**श्री जयन्तीलाल रुईया**, 188, **कालबादेवी रोड**, **मुंबई** 2	**No Change**
26.	**श्री बैजनाथ माखरिया**, 203, **कालबादेवी रोड**, **मुंबई**-2	26	**श्री बैजनाथ माखरिया**, 203, **कालबादेवी रोड**, **मुंबई**-2	**No Change**

हम सभी निम्नलिखित हस्ताक्षर कर्ता सोसायटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1860 **के तहत एक संस्था के रुप में इसका गठन करना चाहते हैं।** **दिनाक**: 16 **माहः अगस्त** **वर्ष**: 1960, **मुबई**	**हम सभी निम्नलिखित हस्ताक्षर कर्ता सोसायटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम** 1860 **के तहत एक संस्था के रुप में इसका गठन करना चाहते हैं।** **दिनाक**: 16 **माहः अगस्त** **वर्ष**: 1960, **मुंबई**	**No Change**

1.	**श्री पुरुषोत्तमलाल झुनझुनवाला**, **श्रीराम मेशन**, **सरदार वल्लभभाई पटेल रोड**, **मुंबई** 4.	1	**श्री पुरुषोत्तमलाल झुनझुनवाला**, **श्रीराम मेशन**, **सरदार वल्लभभाई पटेल रोड**, **मुंबई** 4.	**No Change**
2.	**श्री शिवकुमार भुवालका**, 9 **पेडर रोड**, **मुंबई**-26	2	**श्री शिवकुमार भुवालका**, 9 **पेडर रोड**, **मुंबई**-26	**No Change**
3.	**श्री मदनलाल जालान**, 212, **कालबादेवी रोड**, **मुबई** 2	3	**श्री मदनलाल जालान**, 212, **कालबादेवी रोड**, **मुंबई** 2	**No Change**
4.	**श्री श्रीनिवास बगड़का**, 1, **जमनालाल बजाज नगर**, **कुर्ला रोड**, **अंधेरी**, **पूर्व**, **मुंबई**-59	4	**श्री श्रीनिवास बगड़का**, 1, **जमनालाल बजाज नगर**, **कुर्ला रोड**, **अंधेरी**, **पूर्व**, **मुंबई**-59	**No Change**
5.	**श्री जयदेव सिंघानिया**, 29-**ए**, **बालाराम स्ट्रीट**, **ग्रान्ट रोड**, **मुबई**-7	5	**श्री जयदेव सिंघानिया**, 29-**ए**, **बालाराम स्ट्रीट**, **ग्रान्ट रोड**, **मुंबई** -7	**No Change**
6.	**श्री मुरलीधर जालान**, 339/41, **कालबादेवी रोड**, **मुंबई**-2	6	**श्री मुरलीधर जालान**, 339/41, **कालबादेवी रोड**, **मुंबई**-2	**No Change**
7.	**श्री बालमुकुन्द आर अग्रवाल** 45, **यूसुफ बिल्डिंग**, **वीर नरीमन रोड**, **मुंबई** 1	7	**श्री बालमुकुन्द आर अग्रवाल** 45, **यूसुफ बिल्डिंग**, **वीर नरीमन रोड**, **मुंबई** 1	**No Change**

आरवीजी एज्युकेशनल फाउन्डेशन

नियमावली

Clause No.	Clause	Clause No	New Clause	Amendment
1.	**इस संस्था के निम्न प्रकार के सदस्य होंगे**	1.	**इस संस्था के निम्न प्रकार के सदस्य होंगे :**	No Change
(अ)	**इस संस्था के ऐसे सभी संरक्षक सदस्य, आश्रयदाता सदस्य, सहायक सदस्य व आजीवन सदस्य जो कि दिनांक**: 31.12.2020 **तक सदस्य सूची में अंकित हैं।**	(A)	**इस संस्था के ऐसे सभी संरक्षक सदस्य** (Patron member), **आश्रयदाता सदस्य** (Fellow member), **सहायक सदस्य** (Associate Member) **व आजीवन सदस्य**(Ordinary member) **जो कि दिनांक** 30.11.2026 **तक सदस्य सूची में अंकित हैं।**	Renumbering For old members cut off date changed from 31.12.2020 to 30.11.2026
(ब)	**दि**.01.01.2021 **से इस संस्था के निम्न प्रकार के नए सदस्य होंगे।**	(B)	**दिनांक** 01.12.2026 **से इस संस्था के निम्न प्रकार के नए सदस्य होंगे।**	Renumbering For new members cut off date changed from 01.01.2021 to 01.12.2026
		(i)	**विशिष्ट संरक्षक सदस्य (Distinguished Patron Member) : जो फर्म, ट्रस्ट, कपनी, संयुक्त परिवार, सीमित दायित्व भागीदारी फर्म या व्यक्ति इस संस्था को एकमुश्त रु**. 1,01,00,000/- **या अधिक की राशि दान देंगे उन्हें संस्था के द्वारा विशिष्ट संरक्षक** (Distinguished Patron) **सदस्यता दी जा सकेगी।**	New category of membership clause inserted after clause (B) to accommodate all the doner giving donation of Rs. 1,01,00,000/- and abobe.
(क)	**संरक्षक सदस्य : जो फर्म, ट्रस्ट, कपनी, संयुक्त परिवार, सोसायटी, सीमित दायित्व भागीदारी**	(ii)	**संरक्षक सदस्य (Patron Member) : जो फर्म, ट्रस्ट, कपनी, संयुक्त परिवार, सीमित दायित्व भागीदारी फर्म या व्यक्ति इस**	Qualifying donation amount increased from

Clause No.	Clause	Clause No	New Clause	Amendment
	फर्म या व्यक्ति इस सस्था को एकमुश्त रु. 5,00,000/- या अधिक की राशि दान देंगे उन्हें संस्था के द्वारा संरक्षक सदस्यता दी जा सकेगी।		संस्था को एकमुश्त रु. 31,00,000/- या अधिक की राशि दान देंगे उन्हें संस्था के द्वारा संरक्षक (Patron) सदस्यता दी जा सकेगी।	Rs. 5,00,000/- to Rs. 31,00,000/- and word Society removed for eligibility
(ख)	आश्रयदाता सदस्य : जो फर्म, ट्रस्ट, कपनी, संयुक्त परिवार, सोसायटी, सीमित दायित्व भागीदारी फर्म या व्यक्ति इस सस्था को एकमुश्त रु. 2,00,000/- या अधिक की राशि दान देंगे उन्हें सस्था के द्वारा आश्रयदाता सदस्यता दी जा सकेगी।	(iii)	आश्रयदाता सदस्य (Fellow Member): जो फर्म, ट्रस्ट, कपनी, संयुक्त परिवार, सीमित दायित्व भागीदारी फर्म या व्यक्ति इस संस्था को एकमुश्त रु. 11,00,000/- या अधिक की राशि दान देंगे उन्हें संस्था के द्वारा आश्रयदाता (Fellow) सदस्यता दी जा सकेगी।	Qualifying donation amount increased from Rs. 2,00,000/- to Rs. 11,00,000/- and word Society removed for eligibility
(ग)	सहायक सदस्य: जो फर्म, ट्रस्ट, कंपनी, संयुक्त परिवार, सोसायटी, सीमित दायित्व भागीदारी फर्म या व्यक्ति इस संस्था को एकमुश्त रु. 1,00,000/- या अधिक की राशि दान देंगे उन्हें संस्था के द्वारा सहायक सदस्यता दी जा सकेगी।	(iv)	सहायक सदस्य (Associate Member): जो फर्म, ट्रस्ट, कंपनी, संयुक्त परिवार, सीमित दायित्व भागीदारी फर्म या व्यक्ति इस संस्था को एकमुश्त रु. 5,00,000/- या अधिक की राशि दान देंगे उन्हें संस्था के द्वारा सहायक (Associate)सदस्यता दी जा सकेगी।	Qualifying donation amount increased from Rs. 1,00,000/- to Rs. 5,00,000/- and word Society removed for eligibility
(घ)	आजीवन सदस्य : जो व्यक्ति इस संस्था को रु. 51,000/- या अधिक की राशि दान देंगे उन्हें संस्था के द्वारा आजीवन सदस्यता दी जा सकेगी।	(v)	आजीवन सदस्य (Ordinary Member) : जो व्यक्ति इस संस्था को रु. 1,00,000/- या अधिक की राशि दान देंगे उन्हें संस्था के द्वारा आजीवन(Ordinary) सदस्यता दी जा सकेगी।	Qualifying donation amount increased from Rs. 51,000/- to Rs. 1,00,000/-

Clause No.	Clause	Clause No	New Clause	Amendment
ड)	किसी भी सदस्य से पुनः दान राशि मिलने पर संस्था, ऐसे सदस्य की प्रार्थना पर उसकी सदस्यता श्रेणी में परिवर्तन कर सकेगी तथा संस्था द्वारा एक ही सदस्य को अधिक श्रेणी में सदस्यता दी जा सकेगी।	(C)	किसी भी सदस्य से पुनः नई दान राशि मिलने पर, संस्था द्वारा एक ही सदस्य को एक से अधिक श्रेणी में सदस्यता दी जा सकेगी।	Clause amended so as to Upgradation in category of membership deleted. However, on receipt of new additional donation, membership can be given in other category
		(D)	जिस ट्रस्ट मे सदस्य संख्या 25 से अधिक है उस ट्रस्ट को इस संस्था कि सदस्यता नहीं दी जाएगी।	New clause added for eligibility for membership by trust
2.	सदस्यों का प्रतिनिधित्व	2.	सदस्यों का प्रतिनिधित्व	No Change
		(A)	विशिष्ट संरक्षक सदस्य(Distinguished Patron Member): विशिष्ट संरक्षक सदस्य को पाँच (5) प्रतिनिधि मनोनीत करने का अधिकार होगा।	New clause inserted for eligibility of nominee's for new category
(क)	संरक्षक सदस्य : सरक्षक सदस्य को चार प्रतिनिधि मनोनीत करने का अधिकार होगा।	(B)	संरक्षक सदस्य (Patron Member): सरक्षक सदस्य को चार (4) प्रतिनिधि मनोनीत करने का अधिकार होगा।	No Change
(ख)	आश्रयदाता सदस्य: आश्रयदाता सदस्य को तीन प्रतिनिधि मनोनीत करने का अधिकार होगा।	(B)	आश्रयदाता सदस्य (Fellow Member): आश्रयदाता सदस्य को तीन (3) प्रतिनिधि मनोनीत करने का अधिकार होगा।	No Change

Clause No.	Clause	Clause No	New Clause	Amendment
(ग)	सहायक सदस्य : सहायक सदस्य को दो प्रतिनिधि मनोनीत करने का अधिकार होगा।	(C)	सहायक सदस्य (Associate Member): सहायक सदस्य को दो (2) प्रतिनिधि मनोनीत करने का अधिकार होगा।	No Change
(घ)	आजीवन सदस्य: आजीवन सदस्य व्यक्तिगत रुप से सदस्य हो सकेगा एवं कोई प्रतिनिधि मनोनीत नहीं कर सकेगा।	(D)	आजीवन सदस्य (Ordinary Member): आजीवन सदस्य व्यक्तिगत रुप से सदस्य हो सकेगा एवं कोई प्रतिनिधि मनोनीत नहीं कर सकेगा।	No Change
	मताधिकार	3	मताधिकार	Header inserted
3.	नियम संख्या 2 के अनुसार मनोनीत किये गये सभी श्रेणियों के प्रत्येक प्रतिनिधि को अलग-अलग मत देने का अधिकार होगा।		नियम संख्या 2 के अनुसार मनोनीत किये गये सभी श्रेणियों के प्रत्येक प्रतिनिधि को अलग-अलग मत देने का अधिकार होगा।	No Change
	प्रतिनिधि	4	प्रतिनिधि	Header inserted
4.	नियम संख्या 2 के अनुसार मनोनीत किये गये प्रतिनिधि निम्न तरह के व्यक्ति ही हो सकेंगे।		नियम संख्या 2 के अनुसार मनोनीत किये गये प्रतिनिधि निम्न तरह के व्यक्ति ही हो सकेंगे।	No Change
(क)	फर्म के मालिक, भागीदार, कम्पनी के डायरेक्टर, सीमित दायित्व भागीदारी फर्म के भागीदार।	(A)	कम्पनी के संस्थापक, डायरेक्टर एवं कम्पनी द्वारा मनोनीत अन्य कोई उनके परिवार के सदस्य।	Renumbering Clause amended and separated eligibility for nomination for different class of members
		(B)	फर्म एवं सीमित दायित्व भागीदारी फर्म के मालिक, भागीदार एवं इनके द्वारा मनोनीत अन्य कोई उनके परिवार के सदस्य।	Renumbering New Clause inserted

Clause No.	Clause	Clause No	New Clause	Amendment
				Clause amended and separated eligibility for nomination for different class of members
(ख)	सयुक्त परिवार (HUF) सयुक्त परिवार का कोई भी वयस्क सदस्य।	(C)	संयुक्त परिवार (HUF) संयुक्त परिवार का कोई भी वयस्क सदस्य।	Renumbering New Clause inserted Clause amended and separated eligibility for nomination for different class of members
(ग)	ट्रस्ट ट्रस्ट के ट्रस्टी	(D)	ट्रस्ट के ट्रस्टी एवं ट्रस्ट द्वारा मनोनीत अन्य कोई उनके परिवार के सदस्य।	Renumbering Scope for nomination expanded
(घ)	व्यक्ति - स्वयं।	(E)	व्यक्ति - स्वयं।	Renumbering No Change
(ड)	सोसायटी का अध्यक्ष, मंत्री अथवा अन्य अवैतनिक पदाधिकारी।	(F)	सोसाइटी का अध्यक्ष, मंत्री अथवा अन्य अवैतनिक पदाधिकारी।	Renumbering No Change
5.	कोई भी व्यक्ति जो 18 वर्ष या इससे अधिक उम्र के हों वे इस संस्था के सदस्य या प्रतिनिधि हो सकेंगे।	5	कोई भी व्यक्ति जो 18 वर्ष या इससे अधिक उम्र के हों वे इस संस्था के सदस्य या प्रतिनिधि हो सकेंगे।	No change
	सदस्यता	6	सदस्यता	Renumbering No Change

Clause No.	Clause	Clause No	New Clause	Amendment
6. (क)	**इस संस्था के किसी भी श्रेणी के सदस्य बनने के लिए निर्धारित आवेदन पत्र भरना होगा। व्यवस्थापिका सभा द्वारा आवेदन पत्र स्वीकृत होने पर ही वह इस संस्था का सदस्य माना जायेगा।**	(A)	**इस संस्था के किसी भी श्रेणी के सदस्य बनने के लिए निर्धारित आवेदन पत्र भरना होगा। व्यवस्थापिका सभा द्वारा आवेदन पत्र स्वीकृत होने पर ही वह इस संस्था का सदस्य माना जाएगा।**	**Renumbering No Change**
(ख)	**किसी आवेदन पत्र पर सभासदो द्वारा विरोध किये जाने की अवस्था में ऐसे किसी भी आवेदन पर निर्णय गुप्त मतदान द्वारा बहुमत से होगा। ऐसी किसी भी अवस्था में व्यवस्थापिका सभा आवेदक को कारण बताने हेतु बाध्य नहीं होगी। लेकिन आवेदक द्वारा प्रदान की गई राशि उसे वापस भुगतान कर दी जाएगी।**	(B)	**किसी आवेदन पत्र पर सभासदो द्वारा विरोध किये जाने की अवस्था में ऐसे किसी भी आवेदन पर निर्णय गुप्त मतदान द्वारा बहुमत से होगा। ऐसी किसी भी अवस्था में व्यवस्थापिका सभा आवेदक को कारण बताने हेतु बाध्य नहीं होगी। लेकिन आवेदक द्वारा प्रदान की गई राशि उसे वापस भुगतान कर दी जाएगी।**	**Renumbering No Change**
(ग)	**इस संस्था के रजिस्टर्ड होने से पहले जिन दाताओं ने मारवाड़ी सम्मेलन, मुंबई को इस संस्था के उद्देश्यों के लिये सहायता प्रदान की है वे सहायता की रकम के अनुसार इस संस्था के उसी श्रेणी के सदस्य समझे जाएंगे।**	(C)	**इस संस्था के रजिस्टर्ड होने से पहले जिन दाताओं ने मारवाड़ी सम्मेलन, मुंबई को इस संस्था के उद्देश्यों के लिये सहायता प्रदान की है वे सहायता की रकम के अनुसार इस संस्था के उसी श्रेणी के सदस्य समझे जाएंगे।**	**Renumbering No Change**
	सदस्य एवं प्रतिनिधि के अधिकार	**7**	**सदस्य एवं प्रतिनिधि के अधिकार**	**Renumbering No Change**

Clause No.	Clause	Clause No	New Clause	Amendment
7. (क)	प्रत्येक सदस्य को संस्था के नियमों के अनुसार प्रतिनिधि नियुक्त करने अथवा उसे बदलने का अधिकार होगा।	(A)	प्रत्येक सदस्य को संस्था के नियमों के अनुसार प्रतिनिधि नियुक्त करने अथवा उसे बदलने का अधिकार होगा।	Renumbering No Change
(ख)	प्रतिनिधि को नियुक्त करने अथवा बदलने के लिए लिखित सूचना देनी आवश्यक होगी। ऐसी सूचना प्राप्त होने के पश्चात व्यवस्थापिका सभा की पहली बैठक में विचारार्थ रखी जाएगी। व्यवस्थापिका सभा की स्वीकृति होने के बाद ही प्रतिनिधि नियुक्त हुए अथवा बदले हुए समझे जाएंगे।	(B)	प्रतिनिधि को नियुक्त करने अथवा बदलने के लिए लिखित सूचना देनी आवश्यक होगी। ऐसी सूचना प्राप्त होने के पश्चात व्यवस्थापिका सभा की पहली बैठक में विचारार्थ रखी जाएगी। व्यवस्थापिका सभा की स्वीकृति होने के बाद ही प्रतिनिधि नियुक्त हुए अथवा बदले हुए समझे जाएंगे।	Renumbering No Change
(ग)	व्यवस्थापिका सभा की सदस्यता के लिए चुनाव के समय किसी सदस्य के एक से अधिक प्रतिनिधियों में से सिर्फ एक ही प्रतिनिधि उम्मीदवार हो सकेगा। यदि उस सदस्य के प्रतिनिधियो में से एक से अधिक प्रतिनिधियों के नामांकन पत्र आयेंगे तो ऐसे सभी नामाकन पत्र अवैध समझे जाएंगे।	(C)	व्यवस्थापिका सभा की सदस्यता के लिए चुनाव के समय किसी सदस्य के एक से अधिक प्रतिनिधियों में से सिर्फ एक ही प्रतिनिधि उम्मीदवार हो सकेगा। यदि उस सदस्य के प्रतिनिधियों में से एक से अधिक प्रतिनिधियों के नामांकन पत्र आयेंगे तो ऐसे सभी नामाकन पत्र अवैध समझे जाएंगे।	Renumbering No Change
(घ)	प्रत्येक सदस्य या उपरोक्त नियमों के अन्तर्गत स्वीकृत प्रत्येक प्रतिनिधि को इस संस्था की साधारण सभा और विशेष साधारण सभा के अधिवेशन में उपस्थित होने का अधिकार होगा।	(D)	प्रत्येक सदस्य या उपरोक्त नियमों के अन्तर्गत स्वीकृत प्रत्येक प्रतिनिधि को इस संस्था की साधारण सभा और विशेष साधारण सभा के अधिवेशन में उपस्थित होने का अधिकार होगा।	Renumbering No Change

Clause No.	Clause	Clause No	New Clause	Amendment
(ड)	**किसी भी श्रेणी के सदस्य आगे लिखे हुए नियम** 8 (आठ) **के अनुसार सदस्यपद से हट जाने की अवस्था में उसके द्वारा मनोनीत प्रत्येक प्रतिनिधि भी हटे हुए समझे जाएंगे, किन्तु विशेष परिस्थितियों में व्यवस्थापिका सभा उस सदस्य के किसी एक प्रतिनिधि को** 6 (छः) **महीने अथवा आगामी चुनाव** (**जो भी पूर्व हो**) **तक उसी पद पर बने रहने की अनुमति दे सकती है।**	(E)	**किसी भी श्रेणी के सदस्य आगे लिखे हुए नियम** 8 (आठ) **के अनुसार सदस्यपद से हट जाने की अवस्था में उसके द्वारा मनोनीत प्रत्येक प्रतिनिधि भी हटे हुए समझे जाएंगे, किन्तु विशेष परिस्थितियों में व्यवस्थापिका सभा उस सदस्य के किसी एक प्रतिनिधि को** 6 (छः) **महीने अथवा आगामी चुनाव** (**जो भी पूर्व हो**) **तक उसी पद पर बने रहने की अनुमति दे सकती है।**	**Renumbering** **No Change**
	सदस्य का पदत्याग, निष्कासन अथवा नामांतरण	**8**	**सदस्य का पदत्याग, निष्कासन अथवा नामांतरण**	**Renumbering** **No Change**
8. (क)	**जो सदस्य उस संस्था से अलग होना चाहे वह अपने अलग होने की लिखित सूचना देगा। ऐसी सूचना मिलने पर व्यवस्थापिका सभा में विचार होकर सूचना देनेवाले सदस्य का नाम सूची से हटा दिया जाएगा।**	(A)	**जो सदस्य उस संस्था से अलग होना चाहे वह अपने अलग होने की लिखित सूचना देगा। ऐसी सूचना मिलने पर व्यवस्थापिका सभा में विचार होकर सूचना देनेवाले सदस्य का नाम सूची से हटा दिया जाएगा।**	**Renumbering** **No Change**
(ख)	**व्यक्तिगत सदस्य की मृत्यु होने पर उसका नाम सदस्य-सूची से हटा दिया जाएगा।**	(B)	**व्यक्तिगत सदस्य की मृत्यु होने पर उसका नाम सदस्य-सूची से हटा दिया जाएगा।**	**Renumbering** **No Change**
(ग)	**फर्म, सीमित दायित्व भागीदारी फर्म, कम्पनी, ट्रस्ट, सोसायटी और सयुक्त परिवार के विघटन होने पर उसका नाम सदस्य-सूची से हटा दिया जाएगा।**	(C)	**फर्म, सीमित दायित्व भागीदारी फर्म, कम्पनी, ट्रस्ट, सोसायटी और संयुक्त परिवार के विघटन होने पर उसका नाम सदस्य-सूची से हटा दिया जाएगा।**	**Renumbering** **No Change**

Clause No.	Clause	Clause No	New Clause	Amendment
(घ)	जो सदस्य अथवा प्रतिनिधि इस संस्था के नियमों के विरुध्द आचरण करेगा या संस्था के हितों को हानि पहुंचाने की कोशिश करेगा, वह व्यवस्थापिका सभा की बैठक में उपस्थित सदस्यों के तीन चौथाई (3/4) बहुमत द्वारा सदस्यता से निष्कासित किया जा सकेगा।	(D)	जो सदस्य अथवा प्रतिनिधि इस संस्था के नियमों के विरुध्द आचरण करेगा या संस्था के हितों को हानि पहुंचाने की कोशिश करेगा, वह व्यवस्थापिका सभा की बैठक में उपस्थित सदस्यों के तीन चौथाई (3/4) बहुमत द्वारा सदस्यता से निष्कासित किया जा सकेगा।	Renumbering No Change
(ड)	संयुक्त हिन्दु अविभाजित परिवार, फर्म, सीमित दायित्व भागीदारी फर्म, लिमिटेड कम्पनी, सार्वजनिक ट्रस्ट एवं रजिस्टर्ड सोसायटी के वैधानिक रुप से नाम परिवर्तन होने पर, अथवा कानूनी रुप से किसी अन्य संस्था में विलय हो जाने पर उस सदस्य के प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर सदस्य सूची में नाम परिवर्तन किया जाएगा।	(E)	संयुक्त परिवार, फर्म, सीमित दायित्व भागीदारी फर्म, लिमिटेड कम्पनी, ट्रस्ट एवं रजिस्टर्ड सोसायटी के वैधानिक रुप से नाम परिवर्तन होने पर, अथवा कानूनी रुप से किसी अन्य संस्था में विलय हो जाने पर उस सदस्य के प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर सदस्य सूची में नाम परिवर्तन किया जाएगा।	Hindu Undivided Family changed to Joint Family & Renumbering
9.	साधारण सभा	9	साधारण सभा संस्था के सदस्यों की कोई भी बैठक सदस्यों की सामान्य सभा (General Body) की बैठक मानी जाएगी।	Defined better
9.	संस्था की साधारण सभा का अधिवेशन वर्ष में एक बार होगा, जो कि संस्था के वित्तीय वर्ष समाप्त होने के पश्चात 6 (छः) महीने के अदर व्यवस्थापिका सभा द्वारा निश्चत हुए दिन, स्थान और समय पर होगा।			
	साधारण सभा के वार्षिक अधिवेशन का कार्यक्रम	10	वार्षिक साधारण सभा एवं वार्षिक साधारण सभा का कार्यक्रम	Defined Better

Clause No.	Clause	Clause No	New Clause	Amendment
		(A)	संस्था के सदस्यों की साधारण सभा का अधिवेशन वर्ष में एक बार होगा, जो कि संस्था के वितीय वर्ष समाप्त होने के पश्चात 6 (छ:) महीने के अंदर व्यवस्थापिका सभा द्वारा निश्चत हुए दिन, स्थान और समय पर होगा।	
		(B)	वार्षिक साधारण सभा का कार्यक्रम	
10. (क)	वार्षिक वृतांत, लेखा-परीक्षक द्वारा जांची हुई बैलेंस शीट और आय-व्यय विवरण स्वीकार करना।	(i)	वार्षिक वृतांत, लेखा-परीक्षक द्वारा जांची हुई बैलेंस शीट और आय-व्यय विवरण स्वीकार करना।	Renumbering No Change
(ख)	संस्था के हिसाब की जांच करने के लिए हिसाब परीक्षक या परीक्षकों को नियुक्त करना और आवश्यकतानुसार उनका शुल्क निश्चित करना।	(ii)	संस्था के हिसाब की जांच करने के लिए हिसाब परीक्षक या परीक्षकों को नियुक्त करना और आवश्यकतानुसार उनका शुल्क निश्चित करना।	Renumbering No Change
(ग)	नये वर्ष का अनुमान पत्र (Budget) की पुष्टि करना।	(iii)	नये वर्ष का अनुमान पत्र (Budget) की पुष्टि करना।	Renumbering No Change
(घ)	नियमावली के अनुसार अन्य कार्य, जो साधारण सभा के वार्षिक अधिवेशन में करने योग्य हो, करना।	(iv)	नियमावली के अनुसार अन्य कार्य, जो साधारण सभा के वार्षिक अधिवेशन में करने योग्य हो, करना।	Renumbering No Change
(ड)	साधारण सभा के वार्षिक अधिवेशन की निश्चित तारीख से तीन दिन पूर्व प्राप्त कोई विशेष प्रस्ताव कि जिसकी अध्यक्ष से पूर्व अनुमति प्राप्त हो चुकी हो।	(v)	साधारण सभा के वार्षिक अधिवेशन की निश्चित तारीख से तीन दिन पूर्व प्राप्त कोई विशेष प्रस्ताव कि जिसकी अध्यक्ष से पूर्व अनुमति प्राप्त हो चुकी हो।	Renumbering No Change

Clause No.	Clause	Clause No	New Clause	Amendment
	साधारण सभा के विशेष अधिवेशन और विशेष प्रस्ताव	साधारण सभा के विशेष अधिवेशन और विशेष प्रस्ताव		No Change
11.	नियम संख्या 10 में उल्लिखित कार्यों के अतिरिक्त साधारण सभा के वार्षिक अधिवेशन के अन्य प्रस्ताव विशेष प्रस्ताव माने जायेगे।	11.	नियम संख्या 10 में उल्लिखित कार्यों के अतिरिक्त साधारण सभा के वार्षिक अधिवेशन के अन्य प्रस्ताव विशेष प्रस्ताव माने जाएंगे।	No Change
12.	साधारण सभा के वार्षिक अधिवेशन के अतिरिक्त, सदस्यों के अन्य जो अधिवेशन होंगे, वे साधारण सभा के विशेष अधिवेशन कहलायेंगे।	12.	साधारण सभा के वार्षिक अधिवेशन के अतिरिक्त, सदस्यों के अन्य जो अधिवेशन होंगे, वे साधारण सभा के विशेष अधिवेशन कहलायेंगे।	No Change
13.	सस्था की साधारण सभा का विशेष अधिवेशन, व्यवस्थापिका सभा के निश्चय के अनुसार बुलाया जाएगा अथवा इस संस्था के सभी सदस्यों के 10 प्रतिशत सदस्यों द्वारा जिनकी संख्या 51 से किसी भी अवस्था में कम न होगी, ऐसा अधिवेशन करने के लिए निर्दिष्ट कार्य सहित उनका लिखित प्रार्थनापत्र आने पर बुलाना आवश्यक होगा। इन अधिवेशनों में व्यवस्थापिका सभा द्वारा या प्रार्थना-पत्र भेजने वालों द्वारा निर्दिष्ट किया हुआ कार्य ही विचारार्थ रखा जाएगा।	13.	संस्था की साधारण सभा का विशेष अधिवेशन, व्यवस्थापिका सभा के निश्चय के अनुसार बुलाया जाएगा अथवा इस संस्था के सभी सदस्यों के 10 प्रतिशत सदस्यों द्वारा जिनकी संख्या 51 से किसी भी अवस्था में कम न होगी, ऐसा अधिवेशन करने के लिए निर्दिष्ट कार्य सहित उनका लिखित प्रार्थनापत्र आने पर बुलाना आवश्यक होगा। इन अधिवेशनों में व्यवस्थापिका सभा द्वारा या प्रार्थना-पत्र भेजने वालों द्वारा निर्दिष्ट किया हुआ कार्य ही विचारार्थ रखा जाएगा।	No change
14.	उपरोक्त नियम संख्या 13 में उल्लिखित भेजे जाने वाले प्रार्थनापत्र में उद्देश्यित कार्यवाही का उल्लेख करना प्रार्थियों के लिए अनिवार्य होगा।	14.	उपरोक्त नियम संख्या 13 में उल्लिखित भेजे जाने वाले प्रार्थनापत्र में उद्देश्यित कार्यवाही का उल्लेख करना प्रार्थियों के लिए अनिवार्य होगा।	No change

Clause No.	Clause	Clause No	New Clause	Amendment
15.	**यदि सदस्यों द्वारा भेजे हुए प्रार्थनापत्र की मांग के अनुसार मंत्री उस प्रार्थना पत्र के मिलने के 60 दिन तक इस संस्था की साधारण सभा का विशेष अधिवेशन न बुलाये तो प्रार्थियों को स्वयं ही ऐसा अधिवेशन बुलाने का अधिकार होगा। इस अधिवेशन में पूर्व प्रार्थनापत्र में निर्दिष्ट कार्यवाही ही सम्पन्न होगी।**	15.	**यदि सदस्यों द्वारा भेजे हुए प्रार्थनापत्र की मांग के अनुसार मंत्री उस प्रार्थना पत्र के मिलने के 60 दिन तक इस संस्था की साधारण सभा का विशेष अधिवेशन न बुलाये तो प्रार्थियों को स्वयं ही ऐसा अधिवेशन बुलाने का अधिकार होगा। इस अधिवेशन में पूर्व प्रार्थनापत्र में निर्दिष्ट कार्यवाही ही सम्पन्न होगी।**	**No change**
	सूचना, कोरम, अध्यक्षता, स्थगित बैठक और निर्णय	16.	**सूचना, कोरम, अध्यक्षता, स्थगित बैठक और निर्णय**	**No change**
16. (**क**)	**प्रत्येक साधारण सभा या विशेष अधिवेशन के स्थान, समय, तारीख तथा कार्यक्रम की सूचना सदस्यों के उपलब्ध पते पर डाक द्वारा या किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक माध्यम द्वारा नियमानुसार भेजी गई सूचना कम से कम एक सप्ताह पूर्व भेजी जाएगी।**	(A)	**प्रत्येक साधारण सभा या विशेष अधिवेशन के स्थान, समय, तारीख तथा कार्यक्रम की सूचना सदस्यों के उपलब्ध पते पर डाक द्वारा या किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक माध्यम द्वारा नियमानुसार भेजी गई सूचना कम से कम एक सप्ताह पूर्व भेजी जाएगी।**	**No change**
(**ख**)	**वार्षिक** वृतांत, **लेखा परीक्षक द्वारा** जांची **हुई बैलेस शीट एव आय-व्यय विवरण की प्रति साधारण सभा की सूचना के साथ सलग्न करनी होगी।**	(B)	**वार्षिक वृतांत, लेखा परीक्षक द्वारा जांची हुई बैलेंस शीट एव आय-व्यय विवरण की प्रति साधारण सभा की सूचना के साथ सलग्न करनी होगी।**	**No change**

Clause No.	Clause	Clause No	New Clause	Amendment
17.	**सदस्यों के उपलब्ध पतों पर या किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक माध्यम द्वारा नियमानुसार भेजी गई सूचना नियमित सूचना मानी जाएगी।**	17.	**सदस्यों के उपलब्ध पतों पर या किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक माध्यम द्वारा नियमानुसार भेजी गई सूचना नियमित सूचना मानी जाएगी।**	**No change**
18. (**क**)	**प्रत्येक साधारण सभा या विशेष साधारण सभा के अधिवेशन में कोरम** 51 **सदस्यों का होगा।**	18. (A)	**प्रत्येक साधारण सभा या विशेष साधारण सभा के अधिवेशन में कोरम** 51 **सदस्यों का होगा।**	**Renumbering** **No change**
(**ख**)	**विशेष साधारण सभा अगर संस्था के सदस्यों को प्रार्थना पत्रों के संदर्भ में बुलाई गई हो तो सभी प्रार्थियों या उनमें से कम से कम** 51 **प्रार्थियों की उपस्थिति दर्ज होने पर ही अधिवेशन के लिए कोरम पूर्ण हुआ माना जाएगा।**	(B)	**विशेष साधारण सभा अगर संस्था के सदस्यों को प्रार्थना पत्रों के संदर्भ में बुलाई गई हो तो सभी प्रार्थियों या उनमें से कम से कम** 51 **प्रार्थियों की उपस्थिति दर्ज होने पर ही अधिवेशन के लिए कोरम पूर्ण हुआ माना जाएगा।**	**Renumbering** **No change**
19.	**प्रत्येक साधारण या विशेष साधारण अधिवेशन में नियत समय के बाद** 15 **मिनट के अंदर अध्यक्ष अथवा किसी भी उपाध्यक्ष के न आने पर उपस्थित सदस्यों को अधिकार होगा कि वे अपने में से किसी सदस्य को उस बैठक का अध्यक्ष चुन लें।**	19.	**प्रत्येक साधारण या विशेष साधारण अधिवेशन में नियत समय के बाद** 15 **मिनट के अंदर अध्यक्ष अथवा किसी भी उपाध्यक्ष के न आने पर उपस्थित सदस्यों को अधिकार होगा कि वे अपने में से किसी सदस्य को उस बैठक का अध्यक्ष चुन लें।**	**No Change**
20. (**क**)	**किसी साधारण या विशेष साधारण अधिवेशन में नियत समय पर कोरम न होने पर अधिवेशन** 30 **मिनट के लिए स्थगित कर दिया जाएगा। तत्पश्चात ऐसे स्थगित अधिवेशन में कोरम न हो तो भी अधिवेशन की कार्यवाही नियमित समझी जाएगी।**	20. (A)	**किसी साधारण या विशेष साधारण अधिवेशन में नियत समय पर कोरम न होने पर अधिवेशन** 30 **मिनट के लिए स्थगित कर दिया जाएगा। तत्पश्चात ऐसे स्थगित अधिवेशन में कोरम न हो तो भी अधिवेशन की कार्यवाही नियमित समझी जाएगी।**	**Renumbering** **No change**

Clause No.	Clause	Clause No	New Clause	Amendment
(ख)	विशेष साधारण सभा अगर सदस्यों से प्राप्त प्रार्थनापत्रो के सदर्भ में बुलाई गई हो तो नियत समय से 30 मिनट तक वांछित सदस्यो के उपस्थित नहीं रहने पर ऐसा अधिवेशन निरस्त समझा जाएगा। तथा ऐसे विषय अगले एक वर्ष तक पुर्नविचार के लिए नहीं लिए जा सकेंगे।	(B)	विशेष साधारण सभा अगर सदस्यों से प्राप्त प्रार्थनापत्रो के सदर्भ में बुलाई गई हो तो नियत समय से 30 मिनट तक वांछित सदस्यो के उपस्थित नहीं रहने पर ऐसा अधिवेशन निरस्त समझा जाएगा। तथा ऐसे विषय अगले एक वर्ष तक पुर्नविचार के लिए नहीं लिए जा सकेंगे।	Renumbering No change
21.	सभापति कोरम पूर्ण हुई बैठक को भी विशेष अवस्था में स्थगित कर सकेगा, किन्तु इस प्रकार की स्थगित बैठक में अधूरे रहे कार्य के अतिरिक्त दूसरा कार्य न किया जा सकेगा। यदि बैठक 10 दिन से अधिक के लिए स्थगित होगी तो उस बैठक की नई सूचना निकालनी आवश्यक होगी।	21.	सभापति कोरम पूर्ण हुई बैठक को भी विशेष अवस्था में स्थगित कर सकेगा, किन्तु इस प्रकार की स्थगित बैठक में अधूरे रहे कार्य के अतिरिक्त दूसरा कार्य न किया जा सकेगा। यदि बैठक 10 दिन से अधिक के लिए स्थगित होगी तो उस बैठक की नई सूचना निकालनी आवश्यक होगी।	No change
22.	साधारण सभा के वार्षिक एवं विशेष अधिवेशनों में हर एक प्रश्न का निर्णय उपस्थित सभासदों के बहुमत से होगा। बहुमत का निर्णय सभापति अपने विवेकानुसार हाथ उंचा करा कर या गुप्त मतदान द्वारा करा सकेंगे। गुप्त मतदान कम से कम 5 (पांच) सदस्यों द्वारा मांग किए जाने पर ही होगा। मतों की संख्या समान होने पर निर्णय करने हेतू सभापति द्वारा अपने विशेष मत का प्रयोग किया जा सकेगा।	22.	साधारण सभा के वार्षिक एवं विशेष अधिवेशनों में हर एक प्रश्न का निर्णय उपस्थित सभासदों के बहुमत से होगा। बहुमत का निर्णय सभापति अपने विवेकानुसार हाथ उंचा करा कर या गुप्त मतदान द्वारा करा सकेंगे। गुप्त मतदान कम से कम दस (10) सदस्यों द्वारा मांग किए जाने पर ही होगा। मतों की संख्या समान होने पर निर्णय करने हेतू सभापति द्वारा अपने विशेष मत का प्रयोग किया जा सकेगा।	Clause amended so as to requirement for number of members from 5 to 10 for गुप्त मतदान

Clause No.	Clause	Clause No	New Clause	Amendment
23.	**व्यवस्थापिका सभा के पदाधिकारी ही इस संस्था के पदाधिकारी समझे जायेंगे।**	23.	**व्यवस्थापिका सभा के पदाधिकारी ही इस संस्था के पदाधिकारी समझे जायेंगे।**	**No change**
24.	**इस सस्था के सभापति और मानद मंत्री इसकी प्रत्येक समिति और उपसमिति में पदाधिकृत सदस्य रहेंगे। अध्यक्ष और मंत्री की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष व सयुक्त मत्री उपरोक्त पदेन सदस्यो के स्थान पर क्रमशः कार्य करेगे।**	24.	**इस संस्था के अध्यक्ष और मानद मंत्री इसकी प्रत्येक समिति और उपसमिति में पदाधिकृत सदस्य रहेंगे। अध्यक्ष और मंत्री की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष व संयुक्त मंत्री उपरोक्त पदेन सदस्यो के स्थान पर क्रमशः कार्य करेंगे।**	**No Change**
	व्यवस्थापिका सभा का संगठन एवं कार्य	25.	**व्यवस्थापिका सभा का संगठन एवं कार्य**	**Renumbering**
25.	**व्यवस्थापिका सभा का गठन निम्न प्रकार से होगा-**		**व्यवस्थापिका सभा का गठन निम्न प्रकार से होगा-**	**No change**
(क)	**इस संस्था के सभी ट्रस्टी।**	(A)	**इस संस्था के सभी ट्रस्टी।**	**Renumbering** **No change**
(ख)	**अधिकतम** 32 (**बत्तीस**) **अन्य सदस्य निम्न प्रकार के होगे**.-	(B)	**अधिकतम उनचालीस** (39) **अन्य सदस्य निम्न प्रकार के होंगे:-**	**Clause amended size of Managing Committee increased from 32 to 39**
	(i) 25 (**पच्चीस**) **सदस्य निम्नोक्त श्रेणी से होंगे**:-	(i)	30 (तीस) **सदस्य निम्नोक्त श्रेणी से होंगे**:-	Clause amended number increased from 25 to 30
		(a)	**विशिष्ट संरक्षक सदस्य – छः (6)**	**New category of membership allowed representation of 6**

Clause No.	Clause	Clause No	New Clause	Amendment
				members in Managing Committee
	(अ) सरक्षक - 10 (दस)	(b)	संरक्षक - दस (10)	NO CHANGE
	(ब) आश्रयदाता सदस्य -5 (पांच) सदस्य	(c)	आश्रयदाता सदस्य – सात (7)	Clause amended 5 to 7
	(स) सहायक सदस्य 5 (पाच)	(d)	सहायक सदस्य – दो (2)	Clause amended 5 to 2
	(द) आजीवन सदस्य 5 (पाच)	(e)	आजीवन सदस्य – पाँच (5)	No change
	(ii) 1 (एक) सदस्य श्री मदनलाल नरसिंहदास राजपुरिया ट्रस्ट द्वारा मनोनीत किया जाएगा।	(ii)	एक (1) सदस्य श्री मदनलाल नरसिंहदास राजपुरिया ट्रस्ट द्वारा मनोनीत किया जाएगा।	No change
	(iii) 3 (तीन) सदस्य मारवाडी सम्मेलन, मुंबई द्वारा उनकी व्यवस्थापिका सभा के सदस्यों में से ही मनोनीत किए जायेगे। यदि किसी कारणवश ऐसे मनोनीत सदस्य मारवाड़ी सम्मेलन, मुबई की व्यवस्थापिका सभा के सदस्य नही रहेगे तो वे आरवीजी एज्युकेशनल फाउण्डेशन की व्यवस्थापिका सभा के भी सदस्य नही रहेंगे। मारवाड़ी सम्मेलन, मुबई द्वारा एक बार सदस्य सदस्यो को मनोनीत कर देने के पश्चात आगामी चुनाव तक मनोनीत सदस्यो में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा। परतु ऐसे मनोनीत सदस्य	(iii)	तीन (3) सदस्य मारवाडी सम्मेलन, मुंबई द्वारा उनकी व्यवस्थापिका सभा के सदस्यों में से ही मनोनीत किए जाएंगे। यदि किसी कारणवश ऐसे मनोनीत सदस्य मारवाड़ी सम्मेलन, मुंबई की व्यवस्थापिका सभा के सदस्य नही रहेंगे तो वे आरवीजी एज्युकेशनल फाउण्डेशन की व्यवस्थापिका सभा के भी सदस्य नही रहेंगे। मारवाड़ी सम्मेलन, मुंबई द्वारा एक बार सदस्य सदस्यो को मनोनीत कर देने के पश्चात आगामी चुनाव तक मनोनीत सदस्यो में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा। परतु ऐसे मनोनीत सदस्य के अयोग्य हो जाने पर रिक्त स्थान की पूर्ति उस संस्था द्वारा की जा सकेगी।	No change

Clause No.	Clause	Clause No	New Clause	Amendment
	के अयोग्य हो जाने पर रिक्त स्थान की पूर्ति उस सस्था द्वारा की जा सकेगी।			
	(iv) शेष 3 (तीन) सदस्य किसी भी श्रेणी के सदस्यो में से नवगठित व्यवस्थापिका सभा द्वारा सह-नियुक्त (को-आप्ट) किए जाएंगे।	(iv)	शेष पाँच (5) सदस्य किसी भी श्रेणी के सदस्यो में से नवगठित व्यवस्थापिका सभा द्वारा सह-नियुक्त (को-आप्ट) किए जाएंगे।	Clause amended - no of coopted member increased from 3 to 5
26. (क)	व्यवस्थापिका सभा के लिए उपरोक्त नियम संख्या 25 (ख) के अनुसार चार श्रेणियों के 25 (पच्चीस) सदस्यों के चुनाव प्रति तीसरे वर्ष उस वर्ष की साधारण वार्षिक सभा के दिन होगा। चुनाव की तारीख से 2 वर्ष पूर्व तक बने सदस्य ही चुनाव के लिए नामांकन पत्र भर सकेंगे।	26. (A)	व्यवस्थापिका सभा के लिए उपरोक्त नियम संख्या 25 (B) (i) के अनुसार पाँच श्रेणियों के 30 (तीस) सदस्यों के चुनाव प्रति तीसरे वर्ष उस वर्ष की साधारण वार्षिक सभा से पहले या साधारण वार्षिक सभा के दिन होगा। चुनाव की तारीख से 2 वर्ष पूर्व तक बने सदस्य ही चुनाव के लिए नामांकन पत्र भर सकेंगे।	Clause amended consequential to amendement in 25 (B) (i) number changed from 25 to 30 and date of election shall be on or before the date of AGM
	चुनाव की सूचना और नामांकनपन्त्र		चुनाव की सूचना और नामांकनपन्त्र	No Change
(ख)	चुनाव की तारीख की सूचना प्रत्येक मतदाता के पास कम से कम चुनाव से 21 दिन पूर्व भेज दी जायेगी। ऐसी सूचना भेजने की तारीख से 10 दिन के अन्दर (व्यवस्थापिका सभा द्वारा निश्चित तारीख से एव समय से पहले) सदस्यो या प्रतिनिधियो द्वारा नामांकन पत्र (Nomination	(B)	चुनाव की तारीख की सूचना प्रत्येक मतदाता के पास कम से कम चुनाव से 21 दिन पूर्व भेज दी जाएगी। इस सूचना में निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चुनाव की पूरी कार्यवाही होगी। इस संबंध में चुनाव अधिकारी मंडल के निर्णय सभी पर बाध्यकारी होंगे।	Clause amended

Clause No.	Clause	Clause No	New Clause	Amendment
	Forms) सस्था के कार्यालय में प्राप्त हो जाने चाहिए।			
	निर्वाच्य सदस्यों की सूची		निर्वाच्य सदस्यों की सूची	No change
(ग)	नियम संख्या 26 (ख) के अनुसार निर्वाच्य 25 सदस्यों के स्थानों के लिए जो उम्मीदवार होंगे उनकी सूची सदस्यों की अलग-अलग श्रेणी के अनुसार तैयार की जाएगी। अगर किसी श्रेणी में उम्मीदवारों की संख्या निर्वाच्य संख्या के समान अथवा उससे कम होगी तो ऐसी श्रेणी के उम्मीदवार स्वतः ही चुने हुए समझे जायेंगे एवं उस श्रेणी में फिर कोई चुनाव नहीं होगा। उम्मीदवारों की तैयार की हुई सूची, चुनाव की सूचना के साथ, चुनाव की तारीख के 7 (सात) दिन पूर्व मतदाताओं को भेज दी जायेगी तथा संस्था के कार्यालय के सूचना पट्ट (Notice Board) पर लगा दी जायेगी।	(C)	नियम संख्या 26 (B) के अनुसार निर्वाच्य 30 सदस्यों के स्थानों के लिए जो उम्मीदवार होंगे उनकी सूची सदस्यों की अलग-अलग श्रेणी के अनुसार तैयार की जाएगी। अगर किसी श्रेणी में उम्मीदवारों की संख्या निर्वाच्य संख्या के समान अथवा उससे कम होगी तो ऐसी श्रेणी के उम्मीदवार स्वतः ही चुने हुए समझे जायेंगे एवं उस श्रेणी में फिर कोई चुनाव नहीं होगा। उम्मीदवारों की तैयार की हुई सूची, चुनाव की सूचना के साथ, चुनाव की तारीख के कम से कम 7 (सात) दिन पूर्व मतदाताओं को भेज दी जाएगी तथा संस्था के कार्यालय के सूचना पट्ट (Notice Board) पर लगा दी जाएगी।	Clause amended Consequential amendment
	मतदान, मतगणना और मतपत्रक		मतदान, मतगणना और मतपत्रक	No Change
(घ)	व्यवस्थापिका सभा द्वारा चुनाव की तारीख से पहले चुनाव अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। चुनाव करवाने के लिए व्यवस्थापिका सभा द्वारा	(D)	व्यवस्थापिका सभा द्वारा चुनाव की तारीख से पहले चुनाव अधिकारी मंडल की नियुक्ति की जाएगी। चुनाव करवाने के लिए व्यवस्थापिका सभा द्वारा संस्था के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष एवं	No Change

Clause No.	Clause	Clause No	New Clause	Amendment
	संस्था के अध्यक्ष या वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं अन्य दो व्यक्ति (जो कि चुनाव में उम्मीदवार नहीं हो सकेंगे) के मण्डल को चुनाव अधिकारी के रुप में नियुक्त करेगी। चुनावों से संबंधित किसी भी मामले में ऐसे मण्डल द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम रहेगा। परन्तु इस नियम के अनुसार भी अध्यक्ष या वरिष्ठ उपाध्यक्ष को चुनाव में भाग लेने का अधिकार होगा।		अन्य दो व्यक्ति (जो कि चुनाव में उम्मीदवार नहीं हो सकेंगे) के मंडल को चुनाव अधिकारी के रुप में नियुक्त करेगी। चुनावों से संबंधित किसी भी मामले में ऐसे मंडल द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम रहेगा। परन्तु इस नियम के अनुसार भी अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को चुनाव में भाग लेने का अधिकार होगा।	
(ड)	चुनाव मतपत्रक द्वारा होगा। चुनाव के पहले अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष या चुनाव अधिकारी तथा मतगणना करने वालो की उपस्थिति में मतदान पेटी में मोहर लगा दी जायेगी। यह मोहरबद मतदानपेटी चुनाव के दिन चुनाव अधिकारी द्वारा निश्चित किये गये स्थान एवं समय पर रखी जायेगी। उपरोक्त समय के अन्दर जो मतदाता मत देने के लिए उपस्थित होंगे, उनमें से प्रत्येक को एक मतपत्रक हस्ताक्षर लेकर दे दिया जायेगा। इस प्रकार जो मतदाता चुनाव में मत देना चाहे, उनको उक्त स्थान और समय पर आकर मतपत्रक लेकर नियमों के अनुसार निम्नलिखित श्रेणीवार मत देना होगा।	(E)	चुनाव मतपत्रक द्वारा होगा। चुनाव के पहले अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या चुनाव अधिकारी तथा मतगणना करने वालो की उपस्थिति में मतदान पेटी में मोहर लगा दी जाएगी। यह मोहरबद मतदानपेटी चुनाव के दिन चुनाव अधिकारी द्वारा निश्चित किये गये स्थान एवं समय पर रखी जाएगी। उपरोक्त समय के अन्दर जो मतदाता मत देने के लिए उपस्थित होंगे, उनमें से प्रत्येक को एक मतपत्रक हस्ताक्षर लेकर दे दिया जाएगा। इस प्रकार जो मतदाता चुनाव में मत देना चाहे, उनको उक्त स्थान और समय पर आकर मतपत्रक लेकर नियमों के अनुसार निम्नलिखित श्रेणीवार मत देना होगा। (i) विशिष्ट संरक्षक सदस्य - छः (6) (ii) संरक्षक सदस्य - दस (10) (iii) आश्रयदाता सदस्य – सात (7) (iv) सहायक सदस्य – दो (2)	Clause amended due to addition of new category and edibility (vi) विशिष्ट संरक्षक सदस्य – 6 (New) (vii) संरक्षक सदस्य – from 10 to 10 (viii) आश्रयदाता सदस्य – from 5 to 7 (ix) सहायक सदस्य – from 5 to 2 (x) आजीवन सदस्य – from 5 to 5

Clause No.	Clause	Clause No	New Clause	Amendment
	1 **संरक्षक सदस्य** 10 2. **आश्रयदाता सदस्य** 5 3. **सहायक सदस्य** -5 4. **आजीवन सदस्य** -5		**(v) आजीवन सदस्य - पाँच (5)**	
(च)	**उम्मीदवारों को मत देते समय उनके नामों के सामने गुणित** (X) **का चिन्ह बनाना होगा और तत्पश्चात मतपत्रक मतदान पेटी में डाल देना होगा। परन्तु एक मतदाता, एक उम्मीदवार को, एक से अधिक मत नहीं दे सकेगा।**	(F)	**उम्मीदवारों को मत देते समय उनके नामों के सामने गुणित** (X) **का चिन्ह बनाना होगा और तत्पश्चात मतपत्रक मतदान पेटी में डाल देना होगा। परन्तु एक मतदाता, एक उम्मीदवार को, एक से अधिक मत नहीं दे सकेगा।**	No Change
(छ)	**प्रत्येक मतदाता को नियम संख्या** 26 (ग) **के अनुसार उसी श्रेणी के निर्वाच्य सदस्यों को निर्धारित संख्या के अनुसार जितने मत देने का अधिकार होगा, उसके द्वारा उससे ज्यादा या कम मत देने पर मतपत्रक अवैध घोषित किया जायेगा।**	(G)	**प्रत्येक मतदाता को नियम संख्या** 26 (C) **के अनुसार उसी श्रेणी के निर्वाच्य सदस्यों को निर्धारित संख्या के अनुसार जितने मत देने का अधिकार होगा, उसके द्वारा उससे ज्यादा या कम मत देने पर मतपत्रक अवैध घोषित किया जाएगा।**	No change
(ज)	**चुनाव के पश्चात मतपेटियां चुनाव अधिकारी द्वारा खोली जायेगी। प्रत्येक श्रेणी के अनुसार अधिकतम मत प्राप्त करनेवाले उतने उम्मीदवारों को व्यवस्थापिका सभा के सदस्य के रुप में निर्वाचित घोषित किया जाएगा।**	(H)	**चुनाव के पश्चात मतपेटियां चुनाव अधिकारी मंडल द्वारा खोली जाएगी। प्रत्येक श्रेणी के अनुसार अधिकतम मत प्राप्त करनेवाले उतने उम्मीदवारों को व्यवस्थापिका सभा के सदस्य के रुप में निर्वाचित घोषित किया जाएगा।**	No change
(झ)	**किसी भी श्रेणी के उम्मीदवारों को समान मत मिलने के कारण यदि निर्वाचन में अडचन पडेगी**	(I)	**किसी भी श्रेणी के उम्मीदवारों को समान मत मिलने के कारण यदि निर्वाचन में अडचन पडेगी तो चुनाव अधिकारी लॉटरी**	No change

Clause No.	Clause	Clause No	New Clause	Amendment
	तो चुनाव अधिकारी लॉटरी निकालकर चुनाव की घोषणा करेंगे। मतों की वैधानिकता के सम्बन्ध में शंका उपस्थित होने पर उसका निर्णय चुनाव अधिकारी मंडल में बहुमत द्वारा किया जायेगा तथा वह निर्णय अंतिम होगा।		निकालकर चुनाव की घोषणा करेंगे। मतों की वैधानिकता के सम्बन्ध में शंका उपस्थित होने पर उसका निर्णय चुनाव अधिकारी मंडल में बहुमत द्वारा किया जाएगा तथा वह निर्णय अंतिम होगा।	
(त्र)	यदि निर्वाचित सदस्यों की सख्या श्रेणी की निर्धारित सख्या से कम होगी तो नई व्यवस्थापिका सभा श्रेणी के अनुसार निर्धारित खाली जगह के लिए सदस्य नियुक्त (Co-opt.) कर सकेगी।	(J)	यदि निर्वाचित सदस्यों की संख्या नियम संख्या 25(B)(1) में निर्धारित संख्या से कम हो, तो व्यवस्थापिका सभा रिक्त स्थानों की पूर्ति हेतु सदस्यों की नियुक्ति (Co-opt.) कर सकेगी।	Clause Amended
	मनोनीत प्रतिनिधि एवं पदाधिकारियों का चुनाव		मनोनीत प्रतिनिधि एवं पदाधिकारियों का चुनाव	No Change
(ट)	श्री मदनलाल नरसिंहदास राजपुरिया ट्रस्ट द्वारा मनोनीत एक प्रतिनिधि तथा मारवाड़ी सम्मेलन, मुम्बई द्वारा नियम सख्या 25 (ख) (iii) के अनुसार मनोनीत अधिकतम 3 (तीन) प्रतिनिधि इस संस्था के आगामी चुनाव तक ही व्यवस्थापिका सभा के सदस्य समझे जायेगे। नियम सख्या 26 (ख) के अनुसार चुनाव की तारीख निर्धारित होने पर आरवीजी एज्युकेशनल फाउण्डेशन द्वारा श्री मदनलाल नरसिंहदास राजपुरिया ट्रस्ट एवं मारवाडी सम्मेलन, मुम्बई को	(K)	श्री मदनलाल नरसिंहदास राजपुरिया ट्रस्ट द्वारा मनोनीत एक प्रतिनिधि तथा मारवाड़ी सम्मेलन, मुंबई द्वारा नियम संख्या 25 (B) (iii) के अनुसार मनोनीत अधिकतम 3 (तीन) प्रतिनिधि इस संस्था के आगामी चुनाव तक ही व्यवस्थापिका सभा के सदस्य समझे जाएंगे। नियम संख्या 26 (B) के अनुसार चुनाव की तारीख निर्धारित होने पर आरवीजी एज्युकेशनल फाउण्डेशन द्वारा श्री मदनलाल नरसिंहदास राजपुरिया ट्रस्ट एवं मारवाडी सम्मेलन, मुंबई को सूचना दे दी जाएगी। इस सूचना के मिलने पर चुनाव के दिन तक यदि उनके मनोनीत नहीं किये गये तो ट्रस्टीगण एवं चुने हुए सदस्य व सह-नियुक्त (को-ऑप्टेड) सदस्यों से गठित इस	No Change

Clause No.	Clause	Clause No	New Clause	Amendment
	सूचना दे दी जायेगी। इस सूचना के मिलने पर चुनाव के दिन तक यदि उनके मनोनीत नहीं किये गये तो ट्रस्टीगण एवं चुने हुए सदस्य व सह-नियुक्त (को-ऑप्टेड) सदस्यों से गठित इस संस्था की व्यवस्थापिका सभा पदाधिकारियों के चुनाव कर सकेगी।		संस्था की व्यवस्थापिका सभा पदाधिकारियों के चुनाव कर सकेगी।	
(ठ)	पदाधिकारी निम्नलिखित होंगे : अध्यक्ष 1 वरिष्ठ उपाध्यक्ष 1 उपाध्यक्ष 1 मंत्री 1 संयुक्त मंत्री 1 संयुक्त मंत्री 2 कोषाध्यक्ष 1	(L)	पदाधिकारी निम्नलिखित होंगे : अध्यक्ष 1 उपाध्यक्ष 2 मंत्री 1 संयुक्त मंत्री 3 कोषाध्यक्ष 1 संयुक्त कोषाध्यक्ष 1	Clause amended
(ड)	अध्यक्ष, मंत्री एवं कोषाध्यक्ष का चुनाव सदस्यों द्वारा ट्रस्टियों एवं नियम संख्या 25 (ख) के अनुसार चुने हुए 25 सदस्यों में से ही होगा।	(M)	अध्यक्ष, मंत्री एवं कोषाध्यक्ष का चुनाव सदस्यों द्वारा ट्रस्टियों एवं नियम संख्या 25 (B) (i) के अनुसार चुने हुए 30 सदस्यों में से ही होगा।	Consequential change
(ढ)	कोई भी संस्था एवं सदस्य ऐसे किसी भी व्यक्ति को मनोनित नहीं कर सकेंगे जिन्हें संस्था द्वारा पूर्व में सदस्यता से निष्काषित कर दिया गया हो,	(N)	कोई भी संस्था एवं सदस्य ऐसे किसी भी व्यक्ति को मनोनीत नहीं कर सकेंगे जिन्हें संस्था द्वारा पूर्व में सदस्यता से निष्काषित कर दिया गया हो, अथवा जिनकी सदस्यता हेतु आये हुए आवेदन पत्र व्यवस्थापिका सभा द्वारा अस्वीकृत किए गए हों।	No change

Clause No.	Clause	Clause No	New Clause	Amendment
	अथवा जिनकी सदस्यता हेतु आये हुए आवेदन पत्र व्यवस्थापिका सभा द्वारा अस्वीकृत किए गए हों।			
	अध्यक्षता		अध्यक्षता	No Change
27.	संस्था की साधारण सभाओं, विशेष साधारण सभाओं एवं व्यवस्थापिका सभा की सभाओं में संस्था का अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में उस बैठक में उपस्थित सदस्यों में से कोई एक को उसी बैठक के लिए सभापति चुना जायेगा।	27.	संस्था की साधारण सभाओं, विशेष साधारण सभाओं एवं व्यवस्थापिका सभा की सभाओं में संस्था का अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में उस बैठक में उपस्थित सदस्यों में से कोई एक को उसी बैठक के लिए सभापति चुना जाएगा।	Clause amended Removed senior vice president from the clause
	व्यवस्थापिका सभा के कर्तव्य और अधिकार		व्यवस्थापिका सभा के कर्तव्य और अधिकार	No change
28.	उपर्युक्त नियमों और उद्देश्यों तथा इस नियमावली के अन्तर्गत रहते हुए व्यवस्थापिका सभा के निम्नलिखित अधिकार होंगे।	28.	उपर्युक्त नियमों और उद्देश्यों तथा इस नियमावली के अन्तर्गत रहते हुए व्यवस्थापिका सभा के निम्नलिखित अधिकार होंगे।	No change
(क)	संस्था द्वारा संचालित एवं व्यवस्थित संस्थाओं के नियम और उपनियम बनाना, बदलना और रद्द करना।	(A)	संस्था द्वारा संचालित एवं व्यवस्थित संस्थाओं के नियम और उपनियम बनाना, बदलना और रद्द करना।	No Change
(ख)	संस्था के कोष के लिए धन प्राप्त करना, रखना, विनियोग, देना, प्रबन्ध करना और इसकी उद्देश्यपूर्ति में व्यय करना।	(B)	संस्था के कोष के लिए धन प्राप्त करना, रखना, विनियोग, देना, प्रबन्ध करना और इसकी उद्देश्यपूर्ति में व्यय करना।	No change

Clause No.	Clause	Clause No	New Clause	Amendment
(ग)	व्यवस्थापिका सभा आवश्यक या उचित समझे ऐसे मुकदमे प्रारम्भ करना, दायर करना, पैरवी करना और बचाव करना, तत्कालीन व्यवस्थापिका सभा तथा उसके द्‌वारा नियमानुसार नियुक्त किसी भी व्यक्ति को यह अधिकार होगा, कि वह संस्था की ओर से वारंट जारी करे, तामिल करे, हस्ताक्षर करे, हस्ताक्षर तथा कार्यवाही करे और मुकदमा दायर करे या बचाव करे।	(C)	व्यवस्थापिका सभा आवश्यक या उचित समझे ऐसे मुकदमे प्रारम्भ करना, दायर करना, पैरवी करना और बचाव करना, तत्कालीन व्यवस्थापिका सभा तथा उसके द्‌वारा नियमानुसार नियुक्त किसी भी व्यक्ति को यह अधिकार होगा, कि वह संस्था की ओर से वारंट जारी करें, तामिल करें, हस्ताक्षर करें, हस्ताक्षर तथा कार्यवाही करें और मुकदमा दायर करें या बचाव करें।	No Change
(घ)	अपने निश्चयानुसार संस्था की वार्षिक आय एवं व्यय का अंश स्थायी कोष में जमा करना।	(D)	अपने निश्चयानुसार संस्था की वार्षिक आय एवं व्यय का अंश स्थायी कोष में जमा करना।	No change
(ङ)	आवश्यकतानुसार वैतनिक मंत्री अथवा अन्य अधिकारी या कर्मचारी नियुक्त करना, निकालना या उनके विरुद्‌ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करना।	(E)	आवश्यकतानुसार वैतनिक मंत्री अथवा अन्य अधिकारी या कर्मचारी नियुक्त करना, निकालना या उनके विरुद्‌ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करना।	No Change
(च)	ट्रस्ट बोर्ड द्‌वारा समय समय पर दिये गये सभी निर्देशों का यथावत् पालन करना।	(F)	ट्रस्ट बोर्ड द्‌वारा समय समय पर दिये गये सभी निर्देशों का यथावत् पालन करना।	No Change
		(G)	आवश्यकतानुसार उप-समितियों का गठन करना तथा उनके कार्य, उत्तरदायित्व एवं कर्तव्यों का निर्धारण कर उन्हें आवश्यक कार्यवाही करने हेतु अधिकृत करना।	New Clause inserted
		(H)	वर्ष के मध्य में यदि व्यवस्थापिका सभा के किसी सदस्य का स्थान धारा 30(A), (B) और (C) के अनुसार अथवा	New Clause inserted

Clause No.	Clause	Clause No	New Clause	Amendment
			किसी अन्य कारण से रिक्त हो जाए, तो उस रिक्त स्थान की पूर्ति हेतु साधारण सभा द्वारा नियुक्त किए जाने के लिए योग्य सदस्य के नाम का सुझाव देना।	
29.	नई व्यवस्थापिका सभा का कार्यकाल साधारण सभा के दूसरे दिन से प्रारम्भ हो जाएगा। लेकिन जब तक पदाधिकारियों का चुनाव नहीं होगा, तब तक गत वर्ष का मंत्री कार्य करेगा।	29.	नई व्यवस्थापिका सभा का कार्यकाल साधारण सभा के दूसरे दिन से प्रारम्भ हो जाएगा। लेकिन जब तक पदाधिकारियों का चुनाव नहीं होगा, तब तक गत वर्ष का मंत्री कार्य करेगा।	No Change
	व्यवस्थापिका सभा-सभा की सदस्यता से त्याग	30	व्यवस्थापिका सभा-सभा की सदस्यता से त्याग	No change
30. (क)	यदि व्यवस्थापिका सभा का कोई भी सदस्य किसी कारण से सभा की सदस्यता से पृथक होना चाहे तो वह अपना लिखित त्यागपत्र देकर व्यवस्थापिका सभा की स्वीकृति से सभा की सदस्यता से पृथक हो सकेगा।	(A)	यदि व्यवस्थापिका सभा का कोई भी सदस्य किसी कारण से सभा की सदस्यता से पृथक होना चाहे तो वह अपना लिखित त्यागपत्र देकर व्यवस्थापिका सभा की स्वीकृति से सभा की सदस्यता से पृथक हो सकेगा।	No Change
(ख)	निम्नलिखित कारणों से भी व्यवस्थापिका सभा के सदस्य का स्थान अपने आप (Ipsofacto) रिक्त हो जायेगा। 1. सदस्य द्वारा प्रतिनिधि न रहने पर। 2. मानसिक संतुलन खोने पर। 3. मृत्यु हो जाने पर। 4. सदस्यता रद्द हो जाने पर।	(B)	निम्नलिखित कारणों से भी व्यवस्थापिका सभा के सदस्य का स्थान अपने आप (Ipsofacto) रिक्त हो जाएगा। **(i)** सदस्य द्वारा प्रतिनिधि न रहने पर। (ii) मानसिक संतुलन खोने पर। (iii) मृत्यु हो जाने पर। (iv) सदस्यता रद्द हो जाने पर। (v) दिवालिया घोषित होने पर।	No Change

Clause No.	Clause	Clause No	New Clause	Amendment
	5. **दिवालिया घोषित होने पर।** 6. **किसी भी कोर्ट द्वारा छह महिने से अधिक कारावास की सजा होने पर।**		(vi) **किसी भी कोर्ट द्वारा छह महिने से अधिक कारावास की सजा होने पर।**	
(ग)	**किसी सदस्य द्वारा बिना लिखीत सूचना के लगातार एक वर्ष तक अथवा लगातार तीन बैठकों (इनमें से जो समय अधिक हो) में अनुपस्थित रहने पर व्यवस्थापिका सभा से सदस्यता स्वतः रिक्त हो जायेगी। परन्तु यह नियम ट्रस्टी सदस्यों पर लागू नहीं होगा।**	(C)	**किसी सदस्य द्वारा बिना लिखीत सूचना के लगातार एक वर्ष तक अथवा लगातार तीन बैठकों (इनमें से जो समय अधिक हो) में अनुपस्थित रहने पर व्यवस्थापिका सभा से सदस्यता स्वतः रिक्त हो जाएगी। परन्तु यह नियम ट्रस्टी सदस्यों पर लागू नहीं होगा।**	**No Change**
(घ)	**वर्ष के बीच में यदि व्यवस्थापिका सभा के किसी सदस्य का स्थान धारा** 30 (**क**), (**ख**) **और** (**ग**) **के अनुसार अथवा अन्य किसी कारण से रिक्त हो जाये तो व्यवस्थापिका सभा को अधिकार होगा कि वह उस स्थान की पूर्ति कर ले।**	(D)	**वर्ष के बीच में यदि व्यवस्थापिका सभा के किसी सदस्य का स्थान धारा** 30 (**A**), (B) **और** (C) **के अनुसार अथवा अन्य किसी कारण से रिक्त हो जाये तो आगामी साधारण सभा द्वारा व्यवस्थापिका सभा द्वारा सुझाए गए सदस्यों में से उक्त स्थान की पूर्ति की जाएगी।**	**No Change**
31.	**व्यवस्थापिका सभा के सदस्य के रिक्त स्थान की पूर्ति तक व्यवस्थापिका सभा के शेष सदस्य नियमानुसार कार्यवाही कर सकेंगे।**	31.	**व्यवस्थापिका सभा के सदस्य के रिक्त स्थान की पूर्ति तक व्यवस्थापिका सभा के शेष सदस्य नियमानुसार कार्यवाही कर सकेंगे।**	**No Change**
	व्यवस्थापिका सभा और उपसमितियों की बैठक, सूचना व कोरम आदि	32.	**व्यवस्थापिका सभा और उपसमितियों की बैठक, सूचना व कोरम आदि**	**No change**
32. (**क**)	**व्यवस्थापिका सभा की बैठक कम से कम तीन महीने में एक बार हुआ करेगी। किन्तु आवश्यकता**	(A)	**व्यवस्थापिका सभा की बैठक कम से कम तीन महीने में एक बार हुआ करेगी। किन्तु आवश्यकता पड़ने पर या अध्यक्ष की आज्ञा**	**No Change**

Clause No.	Clause	Clause No	New Clause	Amendment
	पड़ने पर या अध्यक्ष की आज्ञा से अथवा व्यवस्थापिका सभा के कम से कम 11 सदस्यों के लिखित प्रार्थनापत्र आने पर मंत्री किसी भी समय बैठक बुला सकेगा।		से अथवा व्यवस्थापिका सभा के कम से कम ग्यारह (11) सदस्यों के लिखित प्रार्थनापत्र आने पर मंत्री किसी भी समय बैठक बुला सकेगा।	
(ख)	यदि 11 (ग्यारह) सदस्यों के लिखित प्रार्थनापत्र पर मत्री ने व्यवस्थापिका सभा की बैठक सात दिन के अन्दर न बुलाई तो अध्यक्ष या प्रार्थी नियमानुसार सूचना देकर विशेष बैठक बुला सकेगे। किन्तु ऐसी बैठक में वही कार्यवाही हो सकेगी जिसका उल्लेख प्रार्थनापत्र में हो चुका है।	(B)	यदि ग्यारह (11) सदस्यों के लिखित प्रार्थनापत्र पर मंत्री ने व्यवस्थापिका सभा की बैठक सात दिन के अन्दर न बुलाई तो अध्यक्ष या प्रार्थी नियमानुसार सूचना देकर विशेष बैठक बुला सकेंगे। किन्तु ऐसी बैठक में वही कार्यवाही हो सकेगी जिसका उल्लेख प्रार्थनापत्र में हो चुका है।	No Change
(ग)	व्यवस्थापिका सभा की सूचना सभी सदस्यों को स्थान, दिन, समय तथा विशेष कार्य की अवस्था में उसके सामान्य रुप का उल्लेख करते हुए तीन दिन पूर्व डाक या पत्रवाहक अथवा संचार के किसी भी माध्यम द्वारा दी जायेगी।	(C)	व्यवस्थापिका सभा की सूचना सभी सदस्यों को स्थान, दिन, समय तथा विशेष कार्य की अवस्था में उसके सामान्य रुप का उल्लेख करते हुए तीन दिन पूर्व डाक या पत्रवाहक अथवा संचार के किसी भी माध्यम द्वारा दी जाएगी।	No Change
(घ)	अत्यंत आवश्यक कार्यवश मंत्री कम से कम तीन घंटे पूर्व सूचना देकर व्यवस्थापिका सभा की बैठक बुला सकेगा। यदि किसी कारण से किसी भी सदस्य के पास सूचना न भी पहुंची हो तो भी उस निमित्त से सभा की कार्यवाही अनियमित नहीं ठहरायी जायेगी। किन्तु मंत्री का कर्तव्य होगा कि	(D)	अत्यंत आवश्यक कार्यवश मंत्री कम से कम तीन घंटे पूर्व सूचना देकर व्यवस्थापिका सभा की बैठक बुला सकेगा। यदि किसी कारण से किसी भी सदस्य के पास सूचना न भी पहुंची हो तो भी उस निमित्त से सभा की कार्यवाही अनियमित नहीं ठहरायी जाएगी। किन्तु मंत्री का कर्तव्य होगा कि वह ऐसी बैठक की कार्यवाही का विवरण प्रत्येक ऐसे सदस्य को भेज दे।	No Change

Clause No.	Clause	Clause No	New Clause	Amendment
	वह ऐसी बैठक की कार्यवाही का विवरण प्रत्येक ऐसे सदस्य को भेज दे।			
33.	व्यवस्थापिका सभा के सदस्यों के पास मंत्री द्वारा लिखित प्रस्ताव परिपत्र (circular) से भेजने पर उसके पक्ष में बहुमत आने की अवस्था में वह प्रस्ताव नियमित समझा जायेगा। ऐसे भी प्रस्ताव की अगली बैठक में नोंद ली जाएगी।	33.	व्यवस्थापिका सभा के सदस्यों के पास मंत्री द्वारा लिखित प्रस्ताव परिपत्र (circular) से भेजने पर उसके पक्ष में बहुमत आने की अवस्था में वह प्रस्ताव नियमित समझा जाएगा। ऐसे भी प्रस्ताव की अगली बैठक में नोंद ली जाएगी।	No Change
34.	व्यवस्थापिका सभा की प्रत्येक बैठक का कोरम 11 (ग्यारह) सदस्यों का होगा।	34.	व्यवस्थापिका सभा की प्रत्येक बैठक का कोरम पंद्रह (15) सदस्यों का होगा।	Clause Amended Quorum requirement increased from 11 to 15
35. (क)	कोरम के अभाव में स्थगित बैठक 30 मिनिट पश्चात उसी दिन, उसी स्थान पर होगी। ऐसी स्थगित व्यवस्थापिका सभा की बैठक में केवल पूर्व निर्धारित कार्यवाही ही होगी और उसके लिए कोरम की आवश्यकता नहीं होगी।	35. (A)	कोरम के अभाव में स्थगित बैठक 30 मिनिट पश्चात उसी दिन, उसी स्थान पर होगी। ऐसी स्थगित व्यवस्थापिका सभा की बैठक में केवल पूर्व निर्धारित कार्यवाही ही होगी और उसके लिए कोरम की आवश्यकता नहीं होगी।	No Change
(ख)	यदि व्यवस्थापिका सभा की बैठक प्रार्थियों द्वारा बुलाई गई हो तो कोरम के अभाव में बैठक 30 मिनट के लिए स्थगित कर दी जाएगी। किन्तु 30 मिनिट के पश्चात भी अगर कोरम पूर्ण नहीं हुआ हो तो व्यवस्थापिका सभा की ऐसी बैठक निरस्त समझी जाएगी।	(B)	यदि व्यवस्थापिका सभा की बैठक प्रार्थियों द्वारा बुलाई गई हो तो कोरम के अभाव में बैठक 30 मिनट के लिए स्थगित कर दी जाएगी। किन्तु 30 मिनिट के पश्चात भी अगर कोरम पूर्ण नहीं हुआ हो तो व्यवस्थापिका सभा की ऐसी बैठक निरस्त समझी जाएगी।	No Change

Clause No.	Clause	Clause No	New Clause	Amendment
36.	**व्यवस्थापिका सभा के निर्णय बहुमत से होंगे। समान मत होने की अवस्था में सभापति अपना विशेष मत देकर निर्णय करेंगे।**	36.	**व्यवस्थापिका सभा के निर्णय बहुमत से होंगे। समान मत होने की अवस्था में सभापति अपना विशेष मत देकर निर्णय करेंगे।**	**No Change**
37. (**क**)	**व्यवस्थापिका सभा और उपसमितियों की कार्यवाहियां एक निश्चित रजिस्टर में लिखी जाया करेंगी।**	37. (A)	**व्यवस्थापिका सभा और उपसमितियों की कार्यवाहियां एक निश्चित रजिस्टर में लिखी जाया करेंगी।**	**No Change**
(**ख**)	**साधारण सभा के सभी अधिवेशनों की कार्यवाही व्यवस्थापिका सभा की बैठक में रखी जायेगी और उसमें उसी स्वीकार कर उस बैठक के सभापति एवं मंत्री हस्ताक्षर करेंगे।**	(B)	**साधारण सभा के सभी अधिवेशनों की कार्यवाही व्यवस्थापिका सभा की बैठक में रखी जाएगी और उसमें उसी स्वीकार कर उस बैठक के सभापति एवं मंत्री हस्ताक्षर करेंगे।**	**No Change**
38.	**व्यवस्थापिका सभा अथवा उपसमितियों की कार्यवाहियों पर आगामी बैठक में उस बैठक के सभापति हस्ताक्षर करेंगे।**	38.	**व्यवस्थापिका सभा अथवा उपसमितियों की कार्यवाहियों पर आगामी बैठक में उस बैठक के सभापति हस्ताक्षर करेंगे।**	**No Change**
39.	**संस्था के संचालन कार्य का तमाम खर्च और वेतनादि तथा व्यवस्थापिका सभा द्वारा स्वीकृत अन्यान्य समस्त व्यय संस्था के कोष से होगा।**	39.	**संस्था के संचालन कार्य का तमाम खर्च और वेतनादि तथा व्यवस्थापिका सभा द्वारा स्वीकृत अन्यान्य समस्त व्यय संस्था के कोष से होगा।**	**No Change**
40.	**हिसाब की बहियां, कार्यवाही पुस्तक व अन्य दस्तावेज के कागजाद एवं इलेक्ट्रॉनिक रेकॉर्ड संस्था के कार्यालय अथवा व्यवस्थापिका सभा के निश्चयानुसार निश्चित स्थान पर रखे जायेंगे।**	40.	**हिसाब की बहियां, कार्यवाही पुस्तक व अन्य दस्तावेज के कागजाद एवं इलेक्ट्रॉनिक रेकॉर्ड संस्था के कार्यालय अथवा व्यवस्थापिका सभा के निश्चयानुसार निश्चित स्थान पर रखे जायेंगे।**	**No Change**

Clause No.	Clause	Clause No	New Clause	Amendment
41.	व्यवस्थापिका सभा प्रति वर्ष संस्था की साधारण सभा के समक्ष, संस्था का अकेक्षित हिसाब, बैलेंस शीट एवं आय-व्यय विवरण एवं संस्था द्वारा संचालित सभी संस्थाओं तथा पदाधिकारियों द्वारा गत वर्ष में किये गये कार्यों का वृतांत प्रस्तुत करेगी।	41.	व्यवस्थापिका सभा प्रति वर्ष संस्था की साधारण सभा के समक्ष, संस्था का अकेक्षित हिसाब, बैलेंस शीट एवं आय-व्यय विवरण एवं संस्था द्वारा संचालित सभी संस्थाओं तथा पदाधिकारियों द्वारा गत वर्ष में किये गये कार्यों का वृतांत प्रस्तुत करेगी।	No Change
42.	व्यवस्थापिका सभा की बैठक संस्था के कार्यालय या अन्य सुविधाजनक स्थान पर बुलाई जा सकेगी।	42.	व्यवस्थापिका सभा की बैठक संस्था के कार्यालय या अन्य सुविधाजनक स्थान पर बुलाई जा सकेगी।	No Change
	बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज	43.	बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज	No Change
43. (क)	संस्था के कोष एवं संपत्तियों की व्यवस्था के लिए ट्रस्टियों का एक बोर्ड रहेगा। इस संस्था की समस्त संपत्तियों का स्वामित्व बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज में निहित होगा। ऐसे ट्रस्ट मण्डल में न्यूनतम 6 (छः) और अधिकतम 31 (इकत्तीस) ट्रस्टी होगे। बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की सरचना निम्न प्रकार से होगी।	(A)	संस्था के कोष एवं संपत्तियों की व्यवस्था के लिए ट्रस्टियों का एक बोर्ड रहेगा। इस संस्था की समस्त संपत्तियों का स्वामित्व बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज में निहित होगा। ऐसे ट्रस्ट मण्डल में न्यूनतम छः (6) और अधिकतम छत्तीस (36) ट्रस्टी होंगे । बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की संरचना निम्न प्रकार से होगी।	Clause amended - number of trustees increased from 31 to 36
	1. 16 (सोलह) ट्रस्टीज सभासदों द्वारा नियम संख्या 43 (ख) में वर्णित नियमों के अनुसार चुने जाएंगे एवं चुने हुए ट्रस्टियों की सूचना साधारण सभा में दी जाएगी।	(i)	बीस (20) ट्रस्टी सभासदों द्वारा नियम संख्या 43 (B) में वर्णित नियमों के अनुसार चुने जाएंगे एवं चुने हुए ट्रस्टियों की सूचना साधारण सभा में दी जाएगी।	Clause amended – Number of elected trustees increased from 16 to 20

Clause No.	Clause	Clause No	New Clause	Amendment
	2. 1 (एक) ट्रस्टी श्री मदनलाल नरसिंहदास राजपुरिया ट्रस्ट द्वारा मनोनीत होगा।	(ii)	एक (1) ट्रस्टी श्री मदनलाल नरसिंहदास राजपुरिया ट्रस्ट द्वारा मनोनीत होगा।	No change
	3. 2 (दो) ट्रस्टी मारवाड़ी सम्मेलन, मुम्बई द्वारा मनोनीत होगे।	(iii)	दो (2) ट्रस्टी मारवाड़ी सम्मेलन, मुम्बई द्वारा मनोनीत होंगे।	**No Change**
	4. 2 (दो) ट्रस्टी पैशोनेट इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा मनोनीत होंगे।	(iv)	चार (4) ट्रस्टी मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड द्वारा मनोनीत होंगे।	Change in the name of Donor Company & increased number of turstees from 2 to 4
	5. 2 (दो) ट्रस्टी कृष्णा फाउडेशन ट्रस्ट द्वारा मनोनीत किए जा सकेंगे।	(v)	दो (2) ट्रस्टी-सर्वश्री विजय खेतान ग्रुप फाउंडेशन (वी के जी फाउंडेशन) द्वारा मनोनीत होंगे।	Change in the name of Donor Trust
		(vi)	दो (2) ट्रस्टी-सर्वश्री कैपरी फाउंडेशन द्वारा मनोनीत होंगे।	New Clause inserted
	6. 7 (सात) ट्रस्टी भविष्य में सस्था द्वारा विशेष दानदाताओं में से मनोनीत किए जा सकेंगे।	(vii)	चार (4) ट्रस्टी भविष्य में विशेष दानदाताओं में से ट्रस्ट बोर्ड द्वारा मनोनीत किए जा सकेंगे।	Clause amended – Number of trustees changed from 7 to 4
	7. 1 (एक) ट्रस्टी सस्था का पदेन अध्यक्ष।	(viii)	एक (1) ट्रस्टी संस्था का पदेन अध्यक्ष	**No Change**
(ख)	ट्रस्टीयों के चुनाव के सम्बन्ध में मनोनयन पत्र दाखिल करने, वापस लेने, सूची तैयार करने, सूची भेजने तथा मतपत्र देने के बारे में वही नियम लागू	(B)	ट्रस्टीयों के चुनाव के सम्बन्ध में मनोनयन पत्र दाखिल करने, वापस लेने, सूची तैयार करने, सूची भेजने तथा मतपत्र देने के बारे में वही नियम लागू होंगे जो व्यवस्थापिका सभा के सदस्यों के चुनाव के लिए बनाए गए है।	**No Change**

Clause No.	Clause	Clause No	New Clause	Amendment
	होंगे जो व्यवस्थापिका सभा के सदस्यों के चुनाव के लिए बनाए गए है।			
(ग)	कोई भी व्यक्ति 5 (पांच) वर्ष तक संस्था का सदस्य रहे बिना ट्रस्टियों के चुनाव के लिए उम्मीदवार नहीं हो सकेगा।	(C)	**कोई भी व्यक्ति पाँच (5) वर्ष तक संस्था का सदस्य रहे बिना ट्रस्टियों के चुनाव के लिए उम्मीदवार नहीं हो सकेगा। लेकिन यह समय सीमा विशिष्ट संरक्षक सदस्य के लिए दो वर्ष की होगी।**	Clause amended
(घ)	मारवाड़ी सम्मेलन, मुम्बई द्वारा अधिकतम दो ट्रस्टी मनोनीत किये जा सकेंगे। उक्त मनोनीत ट्रस्टीगण सबंधित संस्था के ट्रस्टियों में से ही होंगे। मारवाड़ी सम्मेलन, मुम्बई द्वारा एक बार ट्रस्टियों को मनोनीत कर देने के पश्चात् आगामी चुनाव तक मनोनीत ट्रस्टियों में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा। किन्तु ऐसे किसी मनोनीत ट्रस्टी के अयोग्य हो जाने पर रिक्त स्थान की पूर्ति उस संस्था द्वारा की जा सकेगी।	(D)	**नियम संख्या** 43(A)(ii), 43(A)(iii), 43(A)(iv), 43(A)(v), 43(A)(vi) and 43(A)(vii) **में उल्लिखित संस्थाओं अथवा कंपनियों द्वारा मनोनीत किए जाने वाले ट्रस्टियों का चयन संबंधित संस्था अथवा कंपनी द्वारा अपने यहां निर्धारित एवं प्रचलित उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए किया जाएगा। ऐसे ट्रस्टियों का चयन प्रत्येक चुनावी वर्ष में चुनाव प्रक्रिया के दौरान किया जाएगा। ऐसी संस्थाओं अथवा कंपनियों द्वारा मनोनीत किए जाने वाले ट्रस्टियों का चयन संबंधित संस्था अथवा कंपनियों के प्रोमोटर डायरेक्टर / प्रोमोटर ट्रस्टी या प्रोमोटर डायरेक्टर / प्रोमोटर ट्रस्टी के कोई पारिवारिक सदस्य हो सकेंगे।** **इस हेतु संस्था द्वारा संबंधित संस्थाओं अथवा कंपनियों को लिखित रूप से सूचित किया जाएगा कि वे संस्था के संविधान एवं नियमावली के प्रावधानों के अनुरूप अपने द्वारा मनोनीत**	Clause Ammended

Clause No.	Clause	Clause No	New Clause	Amendment
			किए जाने वाले ट्रस्टी/ट्रस्टियों के नाम निर्धारित समय-सीमा के भीतर भेजें। संबंधित संस्था अथवा कंपनी द्वारा भेजे गए मनोनीत ट्रस्टी/ट्रस्टियों के नामों को चुनाव मंडल द्वारा अपने अभिलेख (Record) में दर्ज किया जाएगा। चुनाव मंडल द्वारा ऐसे नामों को प्राप्त एवं रिकॉर्ड पर लिए जाने के पश्चात, चुनाव प्रक्रिया पूर्ण होने पर घोषित चुनाव परिणामों के साथ उनका विवरण भी समुचित रूप से प्रकाशित किया जाएगा। चुनाव परिणामों के साथ ऐसे मनोनीत ट्रस्टियों के नाम प्रकाशित किए जाने के पश्चात ही उनका मनोनयन अंतिम एवं प्रभावी माना जाएगा। ऐसे सभी मनोनीत ट्रस्टियों का मनोनयन आगामी चुनाव तक प्रभावी रहेगा तथा इस अवधि के दौरान उनके मनोनयन में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा। परंतु, यदि ऐसे किसी मनोनीत ट्रस्टी की मृत्यु हो जाती है अथवा वह किसी कारणवश ट्रस्टी के पद पर बने रहने के लिए अयोग्य हो जाता है, तो उत्पन्न रिक्त स्थान की पूर्ति संबंधित संस्था अथवा कंपनी द्वारा, संस्था के संविधान एवं नियमावली के अनुरूप, किसी अन्य पात्र व्यक्ति को मनोनीत करके की जा सकेगी। ऐसे नए मनोनीत ट्रस्टी का मनोनयन ट्रस्ट बोर्ड की	

Clause No.	Clause	Clause No	New Clause	Amendment
			स्वीकृति के पश्चात ही प्रभावी माना जाएगा तथा उसका नाम ट्रस्ट के अभिलेख (Record) में दर्ज किया जा सकेगा। ऐसे प्रतिस्थापित मनोनीत ट्रस्टी का कार्यकाल आगामी चुनाव तक ही रहेगा।	
(ड)	निम्नलिखित किसी भी कारण से बोर्ड ऑफ ट्रस्टी के सदस्य का स्थान अपने आप (Ipsofacto) रिक्त हो जायेगा। 1. सदस्य द्वारा प्रतिनिधि न रहने पर। 2. मानसिक संतुलन खोने पर। 3. मृत्यु हो जाने पर। 4. सदस्यता रद्द हो जाने पर। 5. दिवालिया घोषित होने पर। 6. किसी भी कोर्ट द्वारा छह महिने से अधिक कारावास की सजा होने पर।	(E)	निम्नलिखित किसी भी कारण से बोर्ड ऑफ ट्रस्टी के सदस्य का स्थान अपने आप (Ipsofacto) रिक्त हो जाएगा। **(i)** सदस्य द्वारा प्रतिनिधि न रहने पर। (ii) मानसिक संतुलन खोने पर। (iii) मृत्यु हो जाने पर। (iv) सदस्यता रद्द हो जाने पर। **(v)** दिवालिया घोषित होने पर। (vi) किसी भी कोर्ट द्वारा छह महिने से अधिक कारावास की सजा होने पर।	**No Change**
44.	मुंबई सार्वजनिक विश्वस्त संस्था अधिनियम, 1950 (बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट) में वर्णित शर्तों के अनुसार स्थान रिक्त होने अथवा किसी ट्रस्टी के अयोग्य हो जाने की अवस्था में या ट्रस्टी का कार्यकाल समाप्त होने पर रिक्त स्थान की पूर्ति सस्था के नियम संख्या 43 में वर्णित नियमानुसार साधारण सभा द्वारा की जायेगी। सभासदों द्वारा	44.	द महाराष्ट्र पब्लिक ट्रस्ट एक्ट,1950 में वर्णित शर्तों के अनुसार स्थान रिक्त होने अथवा किसी ट्रस्टी के इस नियमावली के नियम संख्य 43 (E) के अंतर्गत पद रिक्त होने के स्थिति में, ऐसे पद पर नियुक्ति ट्रस्ट बोर्ड की अनुशंसा पर साधारण सभा द्वारा की जाएगी। ट्रस्टी का कार्यकाल समाप्त होने पर रिक्त स्थान की पूर्ति संस्था के नियम संख्या 43 में वर्णित नियमानुसार की जाएगी। सभासदों	Clause amended

Clause No.	Clause	Clause No	New Clause	Amendment
	चुने हुए ट्रस्टीयों का कार्यकाल अधिकतम 6 (छ) साल का होगा। चुने हुये ट्रस्टीयों में से निकटतम 50% ट्रस्टी बारी-बारी से (रोटेशन पध्दति से) प्रति तीसरे वर्ष अपना स्थान स्वतः ही रिक्त कर देंगे। पर इस प्रकार स्थान रिक्त करने वाले ट्रस्टी को साधारण सभा द्वारा पुनः ट्रस्टी पद पर चुना जा सकेगा। चुने हुए ट्रस्टीयों में से कोई स्थान रिक्त होने की अवस्था में ऐसे रिक्त स्थान की पूर्ति आगामी साधारण सभा में की जा सकेगी।		द्वारा चुने हुए ट्रस्टीयों का कार्यकाल अधिकतम छः (6) साल का होगा। चुने हुये ट्रस्टीयों में से निकटतम 50% ट्रस्टी बारी-बारी से (रोटेशन पध्दति से) प्रति तीसरे वर्ष अपना स्थान स्वतः ही रिक्त कर देंगे। रोटेशन के क्रम में किसी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न होने पर ट्रस्ट बोर्ड पर्ची निकालकर स्थान रिक्त करने वाले ट्रस्टियों के नाम निर्धारित कर सकेगा।पर इस प्रकार स्थान रिक्त करने वाला ट्रस्टी नियम संख्या 43(B) के अनुसार पुनः ट्रस्टी पद पर चुना जा सकेगा। चुने हुए ट्रस्टीयों में से कोई स्थान रिक्त होने की अवस्था में ऐसे रिक्त स्थान की पूर्ति, ट्रस्ट बोर्ड के अनुशंसा से, आगामी साधारण सभा में की जा सकेगी।	
45.	नियम संख्या 44 के अनुसार ट्रस्टियों के रिक्त स्थान की पूर्ति न होने की अवस्था में शेष ट्रस्टी जिनकी संख्या 6 (छह) से कम न होगी, जो कार्य करेंगे वह नियमित माना जाएगा।	45.	नियम संख्या 44 के अनुसार ट्रस्टियों के रिक्त स्थान की पूर्ति न होने की अवस्था में शेष ट्रस्टी जिनकी संख्या छः (6) से कम न होगी, जो कार्य करेंगे वह नियमित माना जाएगा।	No change
46.	इस संस्था का मंत्री ट्रस्टीयों के बोर्ड का संयोजक होगा। वह बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की सभाएं बुलाने की व्यवस्था करेगा। संस्था के सभी पदाधिकारी भी सभी बैठकों में विशेष आमंत्रित रहेंगे किन्तु ट्रस्टीयों के अतिरिक्त किसी को भी मत देने का अधिकार नहीं होगा।	46.	इस संस्था का मंत्री ट्रस्टीयों के बोर्ड का संयोजक होगा। वह बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की सभाएं बुलाने की व्यवस्था करेगा। संस्था के सभी पदाधिकारी भी सभी बैठकों में विशेष आमंत्रित रहेंगे किन्तु ट्रस्टीयों के अतिरिक्त किसी को भी मत देने का अधिकार नहीं होगा।	No change

Clause No.	Clause	Clause No	New Clause	Amendment
47.	संयोजक अवश्यानुसार अथवा किन्ही 11 (ग्यारह) ट्रस्टीयों की सूचना पर ट्रस्टीयों की बैठक 7 (सात) दिन की सूचना से बुला सकेगा।	47. (A)	संयोजक आवश्यकतानुसार अथवा किन्ही ग्यारह (11) ट्रस्टीयों की सूचना पर ट्रस्टीयों की बैठक सात (7) दिन की सूचना से बुला सकेगा।	No change
		B	परंतु अति आवश्यक कार्य के लिए ट्रस्टीयों की बैठक चौबीस (24) घंटे की सूचना से बुला सकेगा।	New clause inserted
48.	संयोजक (मंत्री) द्वारा एक माह तक उपेक्षा होने पर ऐसी मांग करने वाले ट्रस्टियों को नियमानुसार निर्दिष्ट कार्यसूची सहित सूचना देकर ऐसी बैठक बुलाने का अधिकार होगा।	48.	संयोजक (मंत्री) द्वारा एक माह तक उपेक्षा होने पर ऐसी मांग करने वाले ट्रस्टियों को नियमानुसार निर्दिष्ट कार्यसूची सहित सूचना देकर ऐसी बैठक बुलाने का अधिकार होगा।	No change
49.	बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठकों हेतु कोरम 6 (छः) का होगा।	49.	बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठकों हेतु कोरम छः (6) का होगा। परंतु किन्ही ग्यारह (11) ट्रस्टीयों की सूचना पर बुलाई गई बैठक अथवा अति आवश्यक कार्य के लिए अल्प सूचना पर बुलाई गई बैठक का कोरम न्यूनतम पंद्रह (15) का होगा।	Clause amended
50.	ट्रस्टीयों की प्रत्येक बैठक में उपस्थित ट्रस्टियों में से सभापति चुना जायेगा।	50.	ट्रस्टीयों की प्रत्येक बैठक में उपस्थित ट्रस्टियों में से सभापति चुना जाएगा।	No change
51.	बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक में निर्णय बहुमत से होगा। समान मत होने की अवस्था में सभापति विशेष मत देकर निर्णय करेगे।	51.	बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक में निर्णय बहुमत से होगा। समान मत होने की अवस्था में सभापति विशेष मत देकर निर्णय करेंगे।	No change
52.	संयोजक द्वारा लिखित प्रस्ताव परिपत्र (circular) के जरिये भेजने पर पक्ष में बहुमत आ जाने पर वह	52.	संयोजक द्वारा लिखित प्रस्ताव परिपत्र (circular) के जरिये भेजने पर पक्ष में बहुमत आ जाने पर वह प्रस्ताव स्वीकृत समझा	No change

Clause No.	Clause	Clause No	New Clause	Amendment
	प्रस्ताव स्वीकृत समझा जायेगा। ऐसे किसी भी प्रस्ताव की अगली बैठक में नोंद ली जाएगी।		जाएगा। ऐसे किसी भी प्रस्ताव की अगली बैठक में नोंद ली जाएगी।	
53.	ट्रस्टियों को सस्था की सम्पति विनियोजन करने का अधिकार होगा।	53.	ट्रस्टियों को संस्था की सम्पति विनियोजन करने का अधिकार होगा।	No change
54.	ट्रस्टियों का कर्तव्य होगा कि वे	54.	ट्रस्टियों का कर्तव्य होगा कि वे	No change
(क)	सस्था की सम्पूर्ण संपत्तियों (चल एव अचल) का इस संस्था के उद्देशार्थ उपयोग करें।	(A)	संस्था की सम्पूर्ण संपत्तियों (चल एव अचल) का इस संस्था के उद्देशार्थ उपयोग करें।	No change
(ख)	भारतवर्ष में कहीं भी छात्र एवं छात्राओं हेतु विद्यार्थी गृह बनवाएं, शैक्षणिक एवं स्वास्थ्य संस्थानों की स्थापना करें, एवं समाज कल्याणार्थ सांस्कृतिक एवं सामाजिक कार्यों के लिए भवन बनवाएं एवं ऐसी अन्य संस्थाओं को सहयोग दें।	(B)	भारतवर्ष में कहीं भी छात्र एवं छात्राओं हेतु विद्यार्थी गृह बनवाएं, शैक्षणिक एवं स्वास्थ्य संस्थानों की स्थापना करें, एवं समाज कल्याणार्थ सांस्कृतिक एवं सामाजिक कार्यों के लिए भवन बनवाएं एवं ऐसी अन्य संस्थाओं को सहयोग दें।	No change
(ग)	संस्था द्वारा किये जाने वाले विभिन्न कार्यों हेतु एकत्रित किए जाने वाले दान के संदर्भ में व्यवस्थापिका सभा की अनुशंसा को ध्यान में रखते हुये उपयुक्त शर्ते एवं नियम निर्धारण करे।	(C)	संस्था द्वारा किये जाने वाले विभिन्न कार्यों हेतु एकत्रित किए जाने वाले दान के संदर्भ में व्यवस्थापिका सभा की अनुशंसा को ध्यान में रखते हुये उपयुक्त शर्ते एवं नियम निर्धारण करें।	No change
(घ)	ट्रस्टियों का कर्तव्य होगा किवे उस धन को जो किसी कार्य विशेष के लिए संग्रहित किया गया होगा, सर्वसम्मति से इस प्रकार की सिक्योरिटीज में विनियोजित करे, जिसे कि वे उचित समझते हो।	(E)	ट्रस्टियों का कर्तव्य होगा कि वे उस धन को जो किसी कार्य विशेष के लिए संग्रहित किया गया होगा, सर्वसम्मति से इस प्रकार की सिक्योरिटीज में विनियोजित करें, जिसे कि वे उचित समझते हो।	No change

Clause No.	Clause	Clause No	New Clause	Amendment
(ड)	ट्रस्टियों का कर्तव्य होगा कि वे इस संस्था द्वारा भवन निर्माणार्थी भूमि के अधिग्रहण, भवन निर्माण एवं समय-समय पर संस्था के कार्यकलापों को क्रियान्वित करने हेतु प्राप्त धन के विनियोजन के संबंध में व्यवस्थापिका सभा की अनुशंषा से समय-समय पर नियम निर्धारण करें।	(F)	ट्रस्टियों का कर्तव्य होगा कि वे इस संस्था द्वारा भवन निर्माणर्थ भूमि के अधिग्रहण, भवन निर्माण एवं समय-समय पर संस्था के कार्यकलापों को क्रियान्वित करने हेतु प्राप्त धन के विनियोजन के संबंध में व्यवस्थापिका सभा की अनुशंसा से समय-समय पर नियम निर्धारण करें।	No change
(च)	ट्रस्टियों की सर्वसम्मति के अभाव में संस्था का धन सन् 1882 के भारतीय ट्रस्ट विधान की धारा 20 या बम्बई पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धाराओं में वर्णित सिक्योरिटीज में लगाया जाएगा।	(G)	ट्रस्टियों की सर्वसम्मति के अभाव में संस्था का धन द महाराष्ट्र पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1950 एवं इनकम टैक्स एक्ट, 2025 के प्रावधानों के अंतर्गत स्वीकृत प्रतिभूतियों (सिक्योरिटीज़) में निवेश किया जाएगा।	Clause amended
(छ)	ट्रस्टी आवश्यकतानुसार संस्था के उद्देश्यों के लिए व्यवस्थापिका सभा की 3/4 बहुमत से अनुशंसा होने पर संस्था की संपत्ति या कोष की साख से अमुक ब्याज पर अमुक अवधि तक के लिए तथा अदायगी की अमुक शर्तों पर जैसा कि उपयुक्त समझा जाय, रुपये उधार लेंगे।	(H)	ट्रस्टी आवश्यकतानुसार संस्था के उद्देश्यों के लिए व्यवस्थापिका सभा की 3/4 बहुमत से अनुशंसा होने पर संस्था की संपत्ति या कोष की साख से अमुक ब्याज पर अमुक अवधि तक के लिए तथा अदायगी की अमुक शर्तों पर जैसा कि उपयुक्त समझा जाय, रुपये उधार लेंगे।	No change
	ट्रस्टियों द्वारा धन का विनियोजन		ट्रस्टियों द्वारा धन का विनियोजन	No change
55.	ट्रस्टियों का कर्तव्य होगा कि वे संस्था के धन को संस्था के नाम से विनियोजित करेंगे और यदि उचित समझे तो विनियोजित किये हुए धन में घटा बढी कर सकेंगे।	55.	ट्रस्टियों का कर्तव्य होगा कि वे संस्था के धन को संस्था के नाम से विनियोजित करेंगे और यदि उचित समझे तो विनियोजित किये हुए धन में घटा बढी कर सकेंगे।	No change

Clause No.	Clause	Clause No	New Clause	Amendment
56.	किसी दाता की शर्त विशेष पर स्वीकृति की गई निधि जिसकी तत्काल आवश्यकता न हो विहित शर्तों के अन्तर्गत रहते हुए नियम संख्या 54 के अनुसार विनियोजित की जाएगी।	56.	किसी दाता की शर्त विशेष पर स्वीकृति की गई निधि जिसकी तत्काल आवश्यकता न हो विहित शर्तों के अन्तर्गत रहते हुए नियम संख्या 54 के अनुसार विनियोजित की जाएगी।	No change
57.	ट्रस्टियों द्वारा निश्चित किये हुए नियमों के अनुरुप कोई भी दो पदाधिकारी संस्था की सिक्योरिटीज एवं खातों पर हस्ताक्षर कर सकेंगे।	57.	ट्रस्टियों द्वारा निश्चित किये हुए नियमों के अनुरुप कोई भी दो पदाधिकारी संस्था की सिक्योरिटीज एवं खातों पर हस्ताक्षर कर सकेंगे।	No change
58.	संस्था को प्रदत्त किसी भी दान की रसीद मंत्री, संयुक्त मंत्री अथवा कोषाध्यक्ष के हस्ताक्षर हो जाने पर वैध समझी जायेगी।	58.	संस्था को प्रदत्त किसी भी दान की रसीद मंत्री, संयुक्त मंत्री, कोषाध्यक्ष अथवा संयुक्त कोषाध्यक्ष के हस्ताक्षर हो जाने पर वैध समझी जाएगी।	Added - संयुक्त कोषाध्यक्ष
59.	विनियोजित की हुई रकम की आय संस्था के लिए प्राप्त करने का अधिकार ट्रस्टियों को होगा।	59.	विनियोजित की हुई रकम की आय संस्था के लिए प्राप्त करने का अधिकार ट्रस्टियों को होगा।	No change
60.	संस्था की साधारण सभा या व्यवस्थापिका सभा के प्रस्ताव को कार्यरुप में परिणित करने तथा उसके संचालन एवं कार्यवाहियों के लिये बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के निर्देशानुसार संस्था के पदाधिकारी सभी प्रकार की धन सम्पति और उसकी आय प्राप्त करेंगे तथा आवश्यकतानुसार उसे व्यय करेंगे।	60.	संस्था की साधारण सभा या व्यवस्थापिका सभा के प्रस्ताव को कार्यरुप में परिणित करने तथा उसके संचालन एवं कार्यवाहियों के लिये बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के निर्देशानुसार संस्था के पदाधिकारी सभी प्रकार की धन सम्पति और उसकी आय प्राप्त करेंगे तथा आवश्यकतानुसार उसे व्यय करेंगे।	No change
61.	ट्रस्टी उसी धन, कोष, सिक्योरिटी अथवा किसी जायदाद के प्रति उत्तरदायी होंगे, जो कि उन्हें	61.	ट्रस्टी उसी धन, कोष, सिक्योरिटी अथवा किसी जायदाद के प्रति उत्तरदायी होंगे, जो कि उन्हें संस्था के लिए व्यक्तितः मिली होगी	No change

Clause No.	Clause	Clause No	New Clause	Amendment
	संस्था के लिए व्यक्तितः मिली होगी और मात्र नियम पालनार्थ हस्ताक्षर करने से उन पर किसी प्रकार का दायित्व न होगा। ट्रस्टी मात्र अपने निजी कार्यों के प्रति ही संस्था में जवाबदार होंगे। व्यवहार में किसी बैंक, दलाल या व्यापारी की नादेहबंदी या भूल के कारण अथवा सम्पत्ति का मूल्य कम हो जाने के कारण ट्रस्टीयों पर किसी प्रकार का दायित्व नही होगा जबकि वह हानि ट्रस्टी विशेष द्वारा इरादतन नही हुई होगी।		और मात्र नियम पालनार्थ हस्ताक्षर करने से उन पर किसी प्रकार का दायित्व न होगा। ट्रस्टी मात्र अपने निजी कार्यों के प्रति ही संस्था में जवाबदार होंगे। व्यवहार में किसी बैंक, दलाल या व्यापारी की नादेहबंदी या भूल के कारण अथवा सम्पत्ति का मूल्य कम हो जाने के कारण ट्रस्टीयों पर किसी प्रकार का दायित्व नही होगा जबकि वह हानि ट्रस्टी विशेष द्वारा इरादतन नही हुई होगी।	
	हिसाब	62.	हिसाब	No change
62. (क)	कोषाध्यक्ष का कर्तव्य होगा कि वह संस्था का हिसाब रखे जिसमें कि सस्था के धन की आय तथा व्यय का उल्लेख होगा। संस्था की व्यवस्थापिका सभा के सदस्यों को हिसाब की बहिया देखने का अधिकार होगा। सदस्य कार्यालय के समय में हिसाब देख सकेंगे लेकिन इसके लिए उन्हें पूर्व लिखित सूचना देकर मंत्री की अनुमति भी लेनी आवश्यक होगी।	(A)	कोषाध्यक्ष एवं संयुक्त कोषाध्यक्ष का कर्तव्य होगा कि वह संस्था का हिसाब रखे जिसमें कि संस्था के धन की आय तथा व्यय का उल्लेख होगा। संस्था की व्यवस्थापिका सभा के सदस्यों को हिसाब की बहिया देखने का अधिकार होगा। सदस्य कार्यालय के समय में हिसाब देख सकेंगे लेकिन इसके लिए उन्हें पूर्व लिखित सूचना देकर मंत्री की अनुमति भी लेनी आवश्यक होगी।	Added - संयुक्त कोषाध्यक्ष
(ख)	व्यवस्थापिका सभा के निश्चयानुसार बैंक में खाता खोला जा सकेगा।	(B)	व्यवस्थापिका सभा के निश्चयानुसार बैंक में खाता खोला जा सकेगा।	No change

Clause No.	Clause	Clause No	New Clause	Amendment
(ग)	चन्दा, सहायता, किराया तथा अन्यान्य प्रकार से प्राप्त हुई रकम की रसीद मंत्री, संयुक्त मंत्री अथवा कोषाध्यक्ष अथवा अधिकृत अधिकारी देगा।	(C)	चन्दा, सहायता, किराया तथा अन्यान्य प्रकार से प्राप्त हुई रकम की रसीद मंत्री, संयुक्त मंत्री, कोषाध्यक्ष, संयुक्त कोषाध्यक्ष अथवा अधिकृत अधिकारी देगा।	Added - संयुक्त कोषाध्यक्ष
(घ)	संस्था का बैंक अकाउंट संस्था के तत्कालीन सातों पदाधिकारियों में से दो (2) के संयुक्त हस्ताक्षर से संचालित किया जायेगा। इसमें से एक अध्यक्ष या उपाध्यक्ष में से होगा व दूसरा मंत्री, संयुक्त मंत्री या कोषाध्यक्ष में से होगा।	(D)	संस्था का बैंक अकाउंट संस्था के तत्कालीन पदाधिकारियों में से दो (2) के संयुक्त हस्ताक्षर से संचालित किया जाएगा। इसमें से एक अध्यक्ष या उपाध्यक्ष में से होगा व दूसरा मंत्री, संयुक्त मंत्री, कोषाध्यक्ष या संयुक्त कोषाध्यक्ष में से होगा।	Clause Ammended
63.	संस्था का वर्ष समाप्त हो जाने के बाद 6 महीने के अन्दर संस्था एवं इसके द्वारा संचालित संस्थाओं का लेखा परीक्षक द्वारा जांचा हुआ हिसाब, बैलेंस शीट एवं आय-व्यय विवरण वार्षिक साधारण सभा में अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।	63.	संस्था का वर्ष समाप्त हो जाने के बाद 6 महीने के अन्दर संस्था एवं इसके द्वारा संचालित संस्थाओं का लेखा परीक्षक द्वारा जांचा हुआ हिसाब, बैलेंस शीट एवं आय-व्यय विवरण वार्षिक साधारण सभा में अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जाएगा।	No change
	नियम-परिवर्तन और विशेष प्रस्ताव	64.	नियम-परिवर्तन और विशेष प्रस्ताव	No change
64. क)	संस्था के उद्देश्यों में परिवर्तन इसी उद्देश्य से बुलाई गई संस्था की विशेष साधारण सभा में अथवा वार्षिक साधारण सभा में लिखित विशेष प्रस्ताव द्वारा हो सकेगा।	(A)	संस्था के उद्देश्यों में परिवर्तन इसी उद्देश्य से बुलाई गई संस्था की विशेष साधारण सभा में अथवा वार्षिक साधारण सभा में लिखित विशेष प्रस्ताव द्वारा हो सकेगा।	No change
(ख)	संस्था के नियमों में परिवर्तन अथवा नये नियमों का निर्माण संस्था की विशेष साधारण सभा में	(B)	संस्था के नियमों में परिवर्तन अथवा नये नियमों का निर्माण संस्था की विशेष साधारण सभा में अथवा वार्षिक साधारण सभा में लिखित साधारण प्रस्ताव द्वारा हो सकेगा।	No change

Clause No.	Clause	Clause No	New Clause	Amendment
	अथवा वार्षिक साधारण सभा में लिखित साधारण प्रस्ताव द्वारा हो सकेगा।			
65.	संस्था का वही प्रस्ताव विशेष समझा जाएगा जो कि स्वय अथवा प्रतिनिधि सदस्य द्वारा उपस्थित मताधिकारी सदस्यों के 3/4 मत से स्वीकृत हुआ हो अथवा इस प्रस्ताव के लिए परिपत्र द्वारा मताधिकार सदस्यों में से 3/4 के हस्ताक्षर हो चुके हो और जिसका कि मुद्रित या लिखित व्यवस्थापिका सभा मसविदा सदस्यों के पास सूचनापत्र के साथ भेज दिया गया हो और जिसका समर्थन पहली बैठक के एक मास बाद बुलाई गई दूसरी विशेष साधारण सभा में उपस्थित मताधिकारी सदस्यों के बहुमत से हो चुका हो।	65.	संस्था का वही प्रस्ताव विशेष समझा जाएगा जो कि स्वय अथवा प्रतिनिधि सदस्य द्वारा उपस्थित मताधिकारी सदस्यों के 3/4 मत से स्वीकृत हुआ हो अथवा इस प्रस्ताव के लिए परिपत्र द्वारा मताधिकार सदस्यों में से 3/4 के हस्ताक्षर हो चुके हो और जिसका कि मुद्रित या लिखित व्यवस्थापिका सभा मसविदा सदस्यों के पास सूचनापत्र के साथ भेज दिया गया हो और जिसका समर्थन पहली बैठक के एक मास बाद बुलाई गई दूसरी विशेष साधारण सभा में उपस्थित मताधिकारी सदस्यों के बहुमत से हो चुका हो।	No change
66.	साधारण प्रस्ताव द्वारा बनाये गये नियम संस्था के मूल नियमों के समान ही माने जायेंगे एवं उनमें भी बाद में ऐसे ही प्रस्ताव द्वारा परिवर्तन किया जा सकेगा।	66.	साधारण प्रस्ताव द्वारा बनाये गये नियम संस्था के मूल नियमों के समान ही माने जायेंगे एवं उनमें भी बाद में ऐसे ही प्रस्ताव द्वारा परिवर्तन किया जा सकेगा।	No change
67.	संस्था के बंद होने पर उस पर के ऋण या देने को अदा करने के बाद जो सम्पत्ति बचेगी और जो ट्रस्ट में किसी शर्त पर बधी न होगी, वह इस संस्था के सदस्यों में न बांटी जा कर, इसी कार्य के लिए	67.	संस्था के बंद होने पर उस पर के ऋण या देने को अदा करने के बाद जो सम्पत्ति बचेगी और जो ट्रस्ट में किसी शर्त पर बधी न होगी, वह इस संस्था के सदस्यों में न बांटी जा कर, इसी कार्य के लिए बुलाई गई सभा में उपस्थित सदस्यों के कम से कम 3/4 मत से	No change

Clause No.	Clause	Clause No	New Clause	Amendment
	बुलाई गई सभा में उपस्थित सदस्यों के कम से कम 3/4 मत से स्वीकृत होने पर, इसी के उद्देश्यों से मिलते जुलते उद्देश्यों या ऐसे ही उद्देश्यों वाली संस्था या संस्थाओं को दे दी जाएगी।		स्वीकृत होने पर, इसी के उद्देश्यों से मिलते जुलते उद्देश्यों या ऐसे ही उद्देश्यों वाली संस्था या संस्थाओं को दे दी जाएगी।	
68.	व्यवस्थापिका सभा द्वारा सस्था के संविधान एव नियमावली को यथाशीघ्र अंग्रेजी में प्रावर्तित किया जायेगा। किसी भी सदेह की अवस्था में मूल हिन्दी प्रारुप मान्य होगा।	68.	साधारण सभा द्वारा अनुमोदित संविधान एवं नियमावली के हिन्दी एवं अंग्रेज़ी, दोनों संस्करण मान्य होंगे। किन्तु किसी भी संदेह, विसंगति अथवा व्याख्या संबंधी विवाद की स्थिति में अंग्रेज़ी संस्करण ही मान्य होगा।	**Clause amended**
69.	विशेष परिस्थितियो मे सस्था द्वारा सभी प्रकार की बैठके आभासी सम्मेलन (Virtual Conference) द्वारा की जा सकेगी। ऐसी सभी बैठके नियमित समझी जाएगी तथा सभी निर्णय सर्वमान्य होगे।	69.	संस्था द्वारा सभी प्रकार की बैठके आभासी सम्मेलन (Virtual Conference) द्वारा भी की जा सकेगी। ऐसी सभी बैठके नियमित समझी जाएगी तथा सभी निर्णय सर्वमान्य होंगे।	**Clause amended**